



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10122020-223635
CG-DL-E-10122020-223635

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 501]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 18, 2020/कार्तिक 27, 1942

No. 501]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 18, 2020/KARTIKA 27, 1942

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2020

फा. सं. 1-94/एफ.एस.एस.ए.आई/एसपी(लेबलिंग)/2014 (भाग 2).—कतिपय विनियमों के प्रारूप अर्थात्, खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2019 अधिसूचना संख्यांक फ.सं.1-94/एफएसएसएआई/एसपी (लेबलिंग)/2014 (भाग-2) तारीख 25 जून, 2019 द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006(2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था जिसमें उन व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 बनाए थे, परंतु अब खाद्य प्राधिकरण ने इन विनियमों को दो विनियमों में विभाजित करने का विनिश्चय किया है,-

- (i) खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018; और
- (ii) खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2019,

और तदनुसार उपर्युक्त उल्लिखित प्रारूप विनियमों को प्रकाशित किया था;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 02 जुलाई, 2019 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त प्रारूप विनियमों पर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 23 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा(2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्-

विनियम

खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020

अध्याय 1

साधारण

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 है।

(2) इन विनियमों में पूर्व पैकेजबंद खाद्य पदार्थों की लेबलिंग अपेक्षाएं और उनके उत्पादन, प्रसंस्करण, सेवा और भंडारण के परिसरों संबंधी अनिवार्य सूचनाओं का प्रदर्शन विहित है।

(3) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे तथा खाद्य कारबार आपरेटर इन विनियमों के सभी उपबंधों का अनुपालन राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष बाद करेंगे, सिवाय इन विनियमों के अध्याय-3 के जिसका अनुपालन वे 1 जनवरी, 2022 से करेंगे।

2. परिभाषाएँ: (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) 'अधिनियम' से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) अभिप्रेत है।

(ख) 'मिश्रित पैक' से वह पैकेज या पात्र अभिप्रेत है जिसमें खुदरा बिक्री के लिए आशयित और प्रदर्शित विभिन्न खाद्य उत्पादों की कई इकाइयाँ हों और वह विनियम 4 (8) में निर्दिष्ट साधारण लेबलिंग अपेक्षाओं के अनुपालन में हो।

(ग) 'से पूर्व बेहतर तिथि' से वह तारीख अभिप्रेत है, जिससे भंडारण की कथित अवस्थाओं के अंतर्गत उस अवधि की समाप्ति का संकेत मिलता है जिसके दौरान उत्पाद पूरी तरह विपणनीय बना रहेगा और उन विशिष्ट गुणताओं को बनाए रखेगा जिनके लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दावे किए गए हों। उस तारीख के बाद भी खाद्य मानव उपभोग के लिए सुरक्षित हो सकता है, परंतु उसकी गुणता कम हो सकती है। तथापि उत्पाद बिक्रीत नहीं होगा यदि किसी अवस्था में उत्पाद असुरक्षित हो जाता है।

(घ) "बच्चे या बच्चा" से किशोर न्याय अधिनियम 2015 में यथा परिभाषित 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति है।

स्पष्टीकरण – भोजन की विनिर्दिष्ट श्रेणी के लिए आयु सीमा की प्रयोज्यता को सुसंगत विनियमन में बच्चों की व्यापक श्रेणी के अधीन दर्शाया जा सकता है।

(ङ) "विनिर्माण की तारीख" से वह तारीख जिस पर, खाद्य उत्पाद यथावर्णित उत्पाद हो जाए अभिप्रेत है।

(च) 'पैकिंग की तारीख' से वह तारीख अभिप्रेत है, जिस तारीख को खाद्य उत्पाद का उस पात्र में डाल दिया जाए जिसमें अंततः वह बेचा जाएगा।

- (छ) "ई-कामर्स" से वस्तुओं और सेवाओं को डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर खरीदना और बेचना अभिप्रेत है।
- (ज) "केटरिंग प्रयोजनार्थ खाद्य" से रेस्टोरेंटों, कैंटीनों, स्कूलों, अस्पतालों, द्रुत सेवा रेस्टोरेंटों (क्यू.एस.आर), गृह सेवा प्रचालको, कैटरों और मिलती-जुलती संस्थाओं में उपयोग के लिए खाद्य अभिप्रेत हैं, जहाँ खाद्य को तुरंत सेवन के लिए परोसा जाता है।
- (झ) "पैक का अग्र भाग" से पैकेज का वह भाग अभिप्रेत है जो अग्र हो (दृष्टि के मूल क्षेत्र में हो) और जो विशिष्टतया पहली चीज वह होगी जिसे उपभोक्ता उस समय देखेगा। जब उनकी दृष्टि उत्पाद पर पड़ती है उपभोक्ता द्वारा उत्पाद को देखते समय पहली बात होती है।
- (ञ) "शिशु" से 12 माह से अनधिक आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।
- (ट) "लेबलिंग" से वह लिखित, मुद्रित या ग्राफीय सामग्री अभिप्रेत है, जो खाद्य के लेबल पर अंकित हो, जो खाद्य के साथ दी जाएगी जिसे खाद्य के पास प्रदर्शित किया जाए।
- (ठ) "लॉट संख्या" या "कोड संख्या" अथवा "खेप संख्या" से लेबल पर घोषित पहचान का वह चिह्न अभिप्रेत है, जो संख्याओं, वर्णों अथवा दोनों से मिलकर बना होता है, जिससे पहले वह "लॉट संख्या" अथवा "कोड संख्या" अथवा "खेप संख्या" अथवा पहचान का अन्य कोई विशिष्ट चिह्न अंकित होता है, जिसके माध्यम से खाद्य के उत्पादन और वितरण का स्रोत खोजा जा सके, जैसे बैच सं., बै. सं., लॉ. सं., लॉट सं., कोट, एलएन, सीएन अथवा बीएन बी सं.।
- (ड) "बहु-इकाई पैकेज" से वह पैकेज अभिप्रेत है, जिसमें समान और/अथवा भिन्न निवल मात्रा की एक ही खाद्य वस्तु की दो या अधिक अलग-अलग पैकेजबंद अथवा लेबल लगी इकाइयाँ हो, जो अलग-अलग इकाइयों में अथवा पैकेज के रूप में समग्र रूप में खुदरा बिक्री के लिए आशयित हों और प्रदर्शित की गई हों और विनियम 4(8) विनिर्दिष्ट साधारण लेबलिंग अपेक्षाओं के अनुरूप हो।
- (ढ) "गैर-खुदरा पात्र" से वह पात्र अभिप्रेत है, जो उपभोक्ता को सीधे बिक्री हेतु पेश किए जाने के लिए आशयित न हो। गैर-खुदरा पात्र में खाद्य उपभोक्ता को पेश किए जाने से पहले आगे की कारोबारी गतिविधियों के लिए होता है।
- (ण) "मांसाहार" से वह खाद्य वस्तु अभिप्रेत है, जिसमें कोई पूर्ण जीवजन्तु अथवा उसका कोई अंग होता है, जिसमें पक्षी, कीट, ताजा पानी के अथवा समुद्री जीव अथवा किसी पशु मूल के अंडे अथवा उत्पाद शामिल होते हैं, परंतु जिसमें दूध, दुग्ध उत्पाद, शहद अथवा मोम अथवा कारनोबा मोम अथवा शैलैक मोम शामिल नहीं होता।
- (त) "पैकेज/पात्र" से वह पूर्व पैकड बॉक्स, बोतल, जार, कास्केट, टिन, बैरल, केस, थैली, आधान, बोरा, थैला, रैपर अथवा ऐसी अन्य चीजें अभिप्रेत हैं जिनमें कोई खाद्य वस्तु पैक की जाती है।
- (थ) "अनुशंसित आहार मान (आर.डी.ए)" से आहारिय ऊर्जा और पोषक तत्वों की वह औसत मात्रा अभिप्रेत है, जो विशिष्ट जीवनावस्था और लिंग समूह के लगभग सभी (97 से 98 प्रति शत) स्वस्थ लोगों पोषण अपेक्षाओं के लिए पर्याप्त होती है।
- टिप्पण:** इस खंड के प्रयोजन के लिए आर.डी.ए के (आई.सी.एम.आर) (भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद) की मौजूदा "भारतीयों के लिए पोषक तत्वों की अपेक्षाएं और अनुशंसित आहार मान" में दिए गए मान लागू होंगे और यदि भारतीय अनुशंसित आहार मान किसी पोषक तत्व के लिए उपलब्ध नहीं है तब कोडेक्स या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ) दिशा-निर्देशों में उपबधित मान लागू होंगे।
- (द) "पूर्व पैकेज बंद खाद्य" से वह खाद्य अभिप्रेत है, जिसे किसी भी प्रकार के पैकेज में इस प्रकार रखा गया हो कि उसकी सामग्री को उसे छेड़े बिना न बदला जा सके और जो उपभोक्ता को बिक्री के लिए तैयार हो।

टिप्पण: इन विनियमों में जहाँ-कहीं "पैकेज" पद आता है, उसे पूर्व-पैकेजबंद खाद्य वस्तु वाला पैकेज माना जाएगा।

- (ध) “प्रमुख प्रदर्शन पैनल” से धारक/पैकेज का वह भाग अभिप्रेत है, जिसे प्रदर्शित किया जाना या प्रस्तुत किया जाना या दिखाया जाना या उसे उसमें धारित खाद्य वस्तु के प्रदर्शन, बिक्री अथवा क्रय की सामान्य और प्रचलित अवस्थाओं के अंतर्गत उपभोक्ता द्वारा जाँचा जाना आशयित अथवा संभावित हो।
- (न) “खुदरापैक” या “खुदराइकाई” से वे पैकेज अभिप्रेत है, जो उनमें धारित खाद्य के उपभोग के लिए अंतिम उपभोक्ता को बिक्री के लिए आशयित हों।
- (प) “तक उपयोग करें” या “समाप्ति” से वह तारीख अभिप्रेत है, जिससे किसी कथित भंडारण अवस्थाओं के अधीन प्राक्कलित अवधि की समाप्ति सजाप्ति होती है और जिसके बाद उत्पाद सुरक्षित नहीं रह सकता है और खाद्य उत्पाद अधिभाव्यता उपभोक्ताओं द्वारा सामान्यतः सुरक्षित गुणों की क्वालिटी नहीं होगी और खाद्य को मानव उपभोग के लिए बेचा अथवा वितरित नहीं किया जा सकता।
- (फ) “शाकाहार” से इन विनियमों में परिभाषित मांसाहार को छोड़कर खाद्य की कोई वस्तु अभिप्रेत है।
- (2) सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम, उसके अधीन बनाये गए नियम या विनियमों में परिभाषित है, वहीं अर्थ होंगे जो क्रमशः उस अधिनियम, नियम या विनियम में है।
- (3) एफ.एस.एस.आई विनियमों के क्रियान्वयन /निर्वचन व्याख्या से उत्पन्न होने वाली समस्या का समाधान करने के लिए कोई आंतरिक क्रियाविधि स्थापित कर सकती है।

अध्याय-2

पूर्व पैकेजबंद खाद्य पदार्थों की लेबलिंग

4. साधारण अपेक्षाएं:-

- (1) जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, प्रत्येक पूर्व पैकेजबंद खाद्य पर इन विनियमों के अधीन अपेक्षित सूचना वाला लेबल लगा होगा।
- (2) किसी खाद्य उत्पाद को ई-कॉमर्स अथवा सीधे बिक्री के किसी अनय माध्यम से बेचे जाने पर इन विनियमों में विहित लेबल की अनिवार्य अपेक्षाएं उपभोक्ता को बिक्री से पूर्व उपयुक्त माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी सिवाय बैच संख्या/लॉट संख्या, से पहले बेहतर तक उपयोग करें, समाप्ति तारीख, उत्पादन/ पैकिंग की तिथि के।
- (3) पूर्व पैकेजबंद खाद्य को किसी लेबल पर अथवा किसी लेबलिंग में किसी ऐसी रीति से उल्लिखित अथवा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जो असत्य, भ्रामक अथवा कपटपूर्ण हो अथवा जिससे उसके लक्षण के संबंध में किसी भी प्रकार का गलत प्रभाव उत्पन्न होने की संभावना हो।
- (4) लेबल पर लिखित, मुद्रित अथवा ग्राफीय रूप में प्रस्तुत कोई सूचना अथवा चित्रात्मक युक्ति दी जा सकती है, बशर्ते कि वह इन विनियमों की अपेक्षाओं के प्रतिकूल न हो।
- (5) इन विनियमों के अधीन लेबल पर विनिर्दिष्ट उद्घोषणा के विवरण अंग्रेजी में या देवनागरी लिपि में हिंदी में होंगे:
- परंतु इसकी कोई बात इन विनियम के अधीन अपेक्षित भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा के प्रयोग को निवारित नहीं करेगी।
- परंतु यह और किसी अन्य भाषा में दी गई सूचना लेबल पर अंग्रेजी या हिंदी में दी गई सूचना के विपरीत नहीं होगी।
- (6) पूर्व पैकेजबंद खाद्य पर लेबर इस प्रकार लगाया जाएगा कि वह पात्र से अलग न होने पाए।
- (7) खरीद तथा बिक्री की सामान्य अवस्थाओं के अंतर्गत लेबल की सामग्री स्पष्ट, असंदिग्ध, प्रमुख स्थान पर, दृश्यमान, अमिट और उपभोक्ता के लिए सुबोध हो।

(8) किसी पैकेज के ऊपर कोई पात्र या रैपर होने और ऐसा धारक या रैपर खुदरा बिक्री के लिए प्रदर्शित किए जाने पर उस पर वे सभी घोषणाएँ हों जो पैकेज पर होनी अपेक्षित हों सिवाय तब जब स्वयं ऐसा धारक अथवा रैपर पारदर्शी हो और पैकेज (जों) की घोषणाएँ ऐसे बाहरी पात्र अथवा रैपर में से आसानी से पढ़ी जा सकें।

टिप्पण: इस खंड के प्रयोजन के लिए कई खुदरा इकाइयों वाले बहु-इकाई पैकेज के मामले में इन विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित घोषणाओं से मुक्त कम से कम एक खुदरा इकाई का लेबल दृश्यमान हो।

5. लेबलिंग अपेक्षाएं: विनियम 4 में विनिर्दिष्ट साधारण अपेक्षाओं के अतिरिक्त प्रत्येक पैकेज के लेबल पर निम्नलिखित सूचनाएँ भी हों, अर्थात्,-

(1) **खाद्य का नाम:** खाद्य के प्रत्येक पैकेज के अग्रभाग पर खाद्य का नाम हो, जिससे पैकेज में धारित खाद्य की सही प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए।

(क) जब कोई खाद्य अधिनियम के अधीन बनाए गए खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों के अधीन कतिपय आवश्यक संघटन द्वारा विनिर्दिष्ट हो जिससे उसकी पहचान स्थापित होती हो, तो उसमें दिए गए नाम का प्रयोग किया जाएगा।

(ख) ऐसा कोई नाम विहित न होनेपर किसी सामान्य अथवा आम नाम का उपयोग किया जाएगा अथवा उसके साथ खाद्य की सही प्रकृति बताने वाला विवरण होगा।

(ग) इसके अतिरिक्त उस पर "आविष्कृत", "फैंसी," "ब्रांड" अथवा "ट्रेडनाम" भी हो सकता है बशर्ते कि वह खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 के उपबंधों का अनुपालन करे।

(2) **संघटकों की सूची :** एकल संघटक वाले खाद्यों को छोड़कर लेबल पर संघटकों की सूची निम्नलिखित रीति से दी जाए:-

(क) संघटकों की सूची का उपयुक्त शीर्षक, यथा "संघटक/संघटकों की सूची" हो।

(ख) सूची में उत्पाद में प्रयुक्त संघटकों के नाम उसके उत्पादन के समय भार अथवा आयतन, जैसी भी स्थिति हो, के अनुसार संघटनों के अवरोही क्रम से दिए जाएँ।

(ग) किसी खाद्य में कच्ची समग्रि अथवा अन्य संघटकों, जिनमें खाद्य सहयोज्य पदार्थ डाले गए थे, के उपयोग के परिणामस्वरूप कोई प्रौद्योगिक कार्य करने के लिए पर्याप्त मात्रा में शामिल खाद्य सहयोज्य पदार्थ को संघटकों की सूची में शामिल किया जाएगा।

(घ) संघटकों की सूची में संघटकों के विशिष्ट नामों का उपयोग किया जाएगा।

परंतु संबंधित श्रेणियों में आने वाले संघटकों के लिए निम्नलिखित श्रेणी शीर्षकों का उपयोग किया जाएगा, अर्थात्-

क्रम सं.	श्रेणी का नाम	श्रेणी शीर्षक
1.	खाद्य वनस्पति तेल	खाद्य तेल विशेष का नाम दिया जाए, यथा सरसों का तेल, मूँगफली का तेल इत्यादि
2.	खाद्य वनस्पति वसा	वनस्पति वसा की किस्म का नाम (अंतरएस्टरीकृत वनस्पति वसा, प्रभाजित वसा, हाइड्रोजनीकृत तेल, अंशतः हाइड्रोजनीकृत तेल, मार्गरीन और वसा स्प्रेड, यथा मिश्र वसा स्प्रेड, वनस्पति वसा स्प्रेड) दिया जाए

3.	दुग्ध वसा को छोड़कर पशु वसा/तेल	वसा के स्रोत का नाम दिया जाए
4.	मांड, रासायनिक रूप से शोधित मांडों को छोड़कर	मांड
5.	मछली के किसी अन्य खाद्य का संघटक होने पर मछली की सभी प्रजातियाँ; परंतु ऐसे खाद्य की लेबलिंग और प्रस्तुति में मछली की प्रजातियों का हवाला न हो	मछली
6.	मांस के किसी अन्य खाद्य का संघटक होने पर सभी प्रकार के मांस; परंतु ऐसे खाद्य की लेबलिंग और प्रस्तुति में किसी मांस विशेष का हवाला न हो	मांस के स्रोत का नाम दिया जाए
7.	पनीर अथवा पनीर मिश्रण के किसी अन्य खाद्य का संघटक होने पर सभी प्रकार के पनीर; परंतु ऐसे खाद्य की लेबलिंग और प्रस्तुति में किसी पनीर विशेष का हवाला न हो	पनीर
8.	सभी मसाले और कंडीमेंट और उनके सत्त	मसाला और कंडीमेंट अथवा मिश्र मसाला/कंडीमेंट, जो भी उपयुक्त हो
9.	च्युइंग गम के लिए गोंद आधार के उत्पादन के लिए प्रयुक्त सभी प्रकार के गोंद अथवा निर्मितियाँ	गम बेस
10.	निर्जल डेक्स्ट्रोज और डेक्स्ट्रोज मोनोहाइड्रेट	डेक्स्ट्रोज अथवा ग्लुकोज
11.	सूक्रोज	शर्करा
12.	सभी प्रकार के केसीनेट	केसीनेट
13.	प्रेस, एक्स्पेलर अथवा परिशोधित कोको बटर	कोको बटर
14.	सभी क्रिसटलित फल/सब्जियाँ	क्रिसटलित फल/सब्जी
15.	सभी प्रकार के दूध और केवल दूध से व्युत्पन्न दुग्ध उत्पाद	दुग्ध ठोस पदार्थ (स्रोत भी बताया जाए)
16.	कोको बीन, कोको निब, कोको मास, कोको प्रेस केक, कोको पाउडर (महीन/धूलन)	कोको ठोस पदार्थ
17.	सभी विटामिन/(विटामिनो) और उनके यौगिक	विटामिन (विटामिनो)
18.	सभी खनिज और लेश तत्व और उनके यौगिक /लवण	खनिज और/अथवा लेश तत्व

(ड) कोई संघटक दो या अधिक संघटकों का उत्पाद होने पर ऐसे मिश्र संघटक अपने विनिर्दिष्ट नाम द्वारा की घोषित किए जाएंगे;

(i) संघटकों की सूची में उसी रूप में, परंतु उसके तुरंत बाद ऐसे मिश्र संघटकों के उत्पादन के समय अनुपात (द्रव्यमान के अनुसार) के अवरोही क्रम से कोष्ठक में संघटकों की सूची दी जाए; अथवा

(ii) मिश्र संघटक के सभी संघटकों की इस प्रकार घोषणा की जाए मानों वे अंतिम खाद्य के अलग-अलग संघटक हों:

परंतु मिश्र संघटक के खाद्य के 5 % से कम होने पर खाद्य सहयोज्य पदार्थों को छोड़कर जो संघटक खाद्य उत्पाद में प्रौद्योगिक कार्य करते हों, उन्हें घोषित करने की आवश्यकता नहीं है।

(च) योजित जल को संघटकों की सूची में घोषित किया जाए, सिवाय तब जब पानी किसी संघटक का अंग हो, यथा सम्मिश्र आहार में प्रयुक्त लवण जल, सिरप अथवा दोनों, और उसे संघटकों की सूची में घोषित किया गया हो:

परंतु उत्पादन के दौरान वाष्पित जल अथवा अन्य वाष्पशील संघटकों को घोषित करने की आवश्यकता नहीं है;

परंतु यह और कि निर्जलकृत अथवा संघनित खाद्य, जिन्हें पानी डालकर फिर बनाना होता है, के मामले में ऐसे पुनर्संघटित खाद्यों के संघटक भार अथवा आयतन, जैसी भी स्थिति हो, के अवरोही क्रम से घोषित किए जाएँ और उनके साथ "लेबल के निर्देशों के अनुसार तैयार किए जाने पर उत्पाद के संघटक" अभ्युक्ति हो;

(छ) मिश्रण अथवा समुच्चय के रूप में बेचे गए खाद्य के उत्पादन के समय प्रयुक्त संघटकों (मिश्र संघटकों अथवा संघटकों की श्रेणियों सहित) का प्रतिशत भार अथवा आयतन, जो भी उचित हो, के अनुसार घोषित किया जाए, यदि-

- (i) शब्दों अथवा चित्रों अथवा ग्राफों के माध्यम से लेबल पर ऐसे संघटक की मौजूदगी पर बल दिया गया हो; अथवा
- (ii) ऐसा संघटक खाद्य के नाम में न हो, परंतु खाद्य का लक्षण प्रकट करने के लिए अनिवार्य हो और उपभोक्ता उसके खाद्य में होने की आशा करते हों, यदि ऐसे संघटक की मात्रा की घोषणा न होने से उपभोक्ता को भ्रम अथवा धोखा हो।

परंतु ऐसे प्रकटन की आवश्यकता नहीं होगी, जहां-

- (i) संघटक सुवासकारी अभिकर्मकों के रूप में प्रयुक्त मसाले अथवा जड़ी-बूटियां अथवा उनके सत्त अथवा मिश्र मसाले अथवा सीजनिंग हों;
- (ii) खाद्य के नाम में संघटक अथवा संघटकों की श्रेणी का हवाला हो, यदि ऐसे हवाले से उपभोक्ता को कोई भ्रम अथवा धोखा न हो अथवा उस पर खाद्य के लक्षण के बारे में कोई गलत प्रभाव न पड़े, क्योंकि खाद्य का लक्षण बताने अथवा उसे मिलते-जुलते उत्पादों से भिन्न बताने के लिए विभिन्न उत्पादों में संघटकों की मात्रा में अंतर करना आवश्यक नहीं होता।
- (iii) लेबल पर अपेक्षानुसार ड्रैन्ड निवल भार अंकित हो, सिवाय मिश्र संघटकों वाले उन उत्पादों के मामले को छोड़कर जिनमें कतिपय संघटक होने पर बल दिया जाता है;
- (iv) किसी खाद्य के लिए इन विनियमों के अंतर्गत विशिष्ट उपबंध हों;
- (v) उपभोक्ता की सूचना और उपयोग के लिए परोसे के सुझाव का कोई चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण किया गया हो;

- (vi) योजित सूक्ष्म पोषक तत्व और उनकी निर्मितियां हो, जैसे विटामिन, खनिज, एमिनो एसिड, जिनके बारे में विनियम 5 (3) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार पोषण संबंधी घोषणा देनी अपेक्षित है।

(3) पोषण सूचना.-

(क) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए पोषण सूचना का प्रयोजन उपभोक्ता को खाद्य के पोषण संबंधी गुणधर्मों के बारे में जानकारी देना है और निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी:

- (i) 'शर्करा' से सभी मोनोसैक्कराइड (ग्लूकोज, फ्रुक्टोज इत्यादि) और डाइसैक्कराइड (माल्टोज, सूक्रोज लैक्टोज इत्यादि) अभिप्रेत है।
- (ii) 'योजित शर्करा' से खाद्य पदार्थों और बीवरेजों में योजित मोनोसैक्कराइड और डाइसैक्कराइड अभिप्रेत है।
- (iii) 'वसा' से कुल वसा अभिप्रेत है, जिसमें सैच्युरेटिड फैट, मोनोसैच्युरेटिड फैट, पॉलिअनसैच्युरेटिड फैट और ट्रांस फैट शामिल हैं।

(क) "सैच्युरेटिड फैट" से डबल बॉन्ड रहित वसीय अम्ल अभिप्रेत है।

(ख) "मोनोअनसैच्युरेटिड फैट" से एक सिंस डबल बॉन्ड वाले वसीय अम्ल अभिप्रेत है।

(ग) "पॉलिअनसैच्युरेटिड फैट्स" से सिंस-सिंस मिथाइलीन-बाधित डबल बॉन्ड वाले वसीय अम्ल अभिप्रेत है।

(घ) "ट्रांस फैट" से रूपांतरित वसा में मोनोअनसैच्युरेटिड और पॉलिअनसैच्युरेटिड वसीय अम्लों के रेखागणितीय आइसोमरों के वे गैर-असंयुग्मी कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड होना अभिप्रेत है, जो कम से कम एक मिथाइलीन ग्रुप से बाधित होते हैं।

- (iv) "आहारिक रेशा" से वे कार्बोहाइड्रेट पॉलिमर अभिप्रेत हैं, जिनकी बहुलीकरण डिग्री तीन से कम न हो, जिनका मानव की छोटी आँत में अंतर्जात एन्जाइम द्वारा जलीय अपघटन नहीं होता। आहारिय रेशा निम्न में से एक या अधिक से संयुक्त होते हैं:

(क) खाद्य में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खाद्य कार्बोहाइड्रेट पॉलिमर, उपभुक्त रूप में;

(ख) कार्बोहाइड्रेट पॉलिमर, जो भौतिक, एन्जाइमी अथवा रासायनिक साधन से कच्ची खाद्य सामग्री से प्राप्त होते हैं;

(ग) संश्लेषित कार्बोहाइड्रेट पॉलिमर।

- (v) 'पोषकतत्व' से आहार का वह संघटक अभिप्रेत है:

(क) जो ऊर्जा देता है; अथवा

(ख) जिसके विशिष्ट उपापचयी अथवा शरीर-क्रिया संबंधी कार्य होते हैं; अथवा

(ग) जिसकी शारीरिक और मानसिक विकास तथा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है।

(ख) लेबल पर उत्पाद के प्रति 100 ग्रा अथवा 100 मि.ली अथवा प्रति एक सेवन पैक से संबंधित और वयस्क व्यक्ति के लिए प्रति दिन 2000कि. कै ऊर्जा, 67 ग्रा कुल वसा, 22 ग्रा सैच्युरेटिड फैट, 2 ग्रा ट्रांस फैट, 50 ग्रा योजित शर्करा और 2000 मि.ग्रा. सोडियम (5ग्रा.नमक) की आवश्यकता के आधार पर आकलित अनुशंसित आहारमान में प्रति परोसे प्रति शत योगदान संबंधी पोषण सूचना दी जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हों:-

(i) ऊर्जा मान (कि.कै);

(ii) निम्नलिखित की मात्रा:

(क) प्रोटीन (ग्रा);

(ख) कार्बोहाइड्रेट (ग्रा) और कुल शर्करा (ग्रा) योजित शर्करा (ग्रा);

(ग) कुल वसा (ग्रा). सैच्युरेटिड फैट (ग्रा), ट्रांस फैट (प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ट्रांस-फैट को छोड़कर (ग्रा) और कोलेस्ट्रॉल (मिग्रा);

परंतु सैच्युरेटिड फैट और ट्रांस फैट की मात्रा लेबल पर “.....से अनधिक” के रूप में घोषित की जा सकती है।

परंतु संतृप्त वसा और ट्रांस वसा केवल तभी दी जाए जब वसा की मात्रा 0.5% से अधिक हो।

(घ) सोडियम (मिग्रा);

(iii) जहाँ कहीं विटामिनों और खनिजों के बारे में सांख्यिकीय सूचना दी जाए, उसे मैट्रिक इकाइयों में दिया जाए;

(iv) पोषण सूचना के पैनल में संदर्भ के लिए खाद्य की ग्राम (ग्रा) अथवा मिलीलीटर (मि.ली) में मात्रा के अतिरिक्त परोसे का माप और प्रति पैकेज परोसों की संख्या शामिल हो।

स्पष्टीकरण: “परोसा अथवा परोसा साइज” से अभिप्रेत है खाद्य की हर बार पारंपरिक रूप से खाई जाने वाली मात्रा अथवा जो लेबल पर परिभाषित हो और जो मीटरी इकाइयों में व्यक्त हो। इसके अतिरिक्त इसे खाद्य के अनुसार उपयुक्त आम घरेलू मापों, यथा चाय की चम्मच, खाना खाने की चम्मच, कप आदि के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है।

परंतु पोषक तत्वों, यथा खनिज, प्रोटीन, विटामिन, एमिनो एसिड अथवा एन्जाइम से प्रचुर होने का दावा करने वाले खाद्य के लेबल पर ऐसे योजित पोषक तत्व की मात्रा दी जाए।

(ग) निम्नलिखित श्रेणियों के खाद्य पदार्थों को अनिवार्य पोषण लेबलिंग से छूट है:

(i) एकल संघटक वाले अप्रसंस्कृत उत्पाद;

(ii) वे प्रसंस्कृत उत्पाद, जिनका प्रसंकरण केवल उन्हें पकाने के रूप में किया गया हो और जिनमें केवल एक ही संघटक हो;

(iii) मानव उपभोग के लिए आशयित जल, जिसमें केवल कार्बन डाइऑक्साइड मिले संघटक वाला जल शामिल है;

(iv) कोई जड़ी-बूटी, मसाला अथवा उनके मिश्रण/करी पाउडर, स्पिंकलर मसाला (सीधे सेवन के लिए आशयित मसाले) को छोड़कर;

(v) नमक और नमक प्रतिस्थापी;

(vi) टेबल टॉप स्वीटनर;

(vii) कॉफी सत्त और कासनी सत्त, साबुत अथवा पिसी कॉफी बीन्ज और साबुत अथवा पिसी विकैफीनकृत कॉफी बीन्ज, कॉफी, विकैफीनीकृत कॉफी, विलेय कॉफी पाउडर, कॉफी-कासनी मिश्रण;

(viii) भेषजीय और फलों के आसव, चाय, विकैफीनीकृत चाय, इन्सटैंट अथवा विलेय चाय अथवा चाय सत्त, विकैफीनीकृत इन्सटैंट अथवा विलेय चाय अथवा चाय सत्त जिसमें सुवासकारी सामग्रियों को छोड़कर अन्य योजित संघटक न हो और जिनसे चाय का पोषण मान न बदले;

(ix) किण्वित सिरका और उसके विकल्पी, जिनमें वे भी शामिल हैं। जिनमें केवल सुवासकारी सामग्रियाँ ही योजित संघटक के रूप में होती हैं;

- (x) सुवासकारी सामग्रियाँ, खाद्य सहयोज्य सामग्रियाँ प्रसंसकरण सहायक सामग्रियाँ, खाद्य एन्जाइम, जिलेटिन, खमीर;
- (xi) चयुङ्ग गम;
- (xii) एल्कोहलीय पेय;
- (xiii) विशेष आहार उपयोग के लिए खाद्य (एफएसडीयू) विशेष चिकित्सा प्रयोजन के लिए खाद्य (एफएसएमपी) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य या स्वास्थ्य अनुपूरक, न्यूट्रास्युटिकल्स, विशेष आहार विषयक उपयोग के लिए खाद्य विशेष चिकित्सीय प्रयोजन के लिए खाद्य, कृत्यकारी खाद्य और नूतन खाद्य) विनियम, 2016 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुपालन के अध्यायधीन होंगे।

परंतु खाद्य तेलों, इंटरएस्टरीकृत वनस्पति वसा, हाइड्रोजनीकृत और अंशतः हाइड्रोजनीकृत दोनों प्रकार के तेलों, खाद्य वसाओं और फैट स्प्रेड (मिश्र फैट स्प्रेड और वनस्पति फैट स्प्रेड) और खाद्य के वे पैकेज जिनमें वसाओं, तेलों और वसा पायसों का प्रयोग संघटक के रूप में किया जाता है, के प्रत्येक पैकेज के लेबल पर ट्रांस-फैट अंश और सैच्युरेटिड फैट अंश घोषित किया जाएगा।

परंतु यह कि सैच्युरेटिड फैट और ट्रांस-फैट के अंश को लेबल पर "से अनधिक" के रूप में घोषित किया जा सकता है।

परंतु यह और कि खाद्य तेलों, इंटरएस्टरीकृत वनस्पति वसा, हाइड्रोजनीकृत और अंशतः हाइड्रोजनीकृत दोनों प्रकार के तेलों, खाद्य वसाओं, मार्गरीन और फैट स्प्रेड (मिश्र फैट स्प्रेड और वनस्पति फैट स्प्रेड) के प्रत्येक पैकेज के लेबल पर मोनोअनसैच्युरेटिड फैटी एसिड, पॉलिअनसैच्युरेटिड फैटी एसिड, ओमेगा-3 फैटी एसिड और ओमेगा-6 फैटी एसिड अंश घोषित किया जाएगा।

तथापि लेबल पर पोषण अथवा स्वास्थ्य संबंधी दावा किया जाने पर उपर्युक्त उत्पादों के संबंध में पोषण संबंधी सूचना देनी होगी।

- (घ) लेबल पर घोषित पोषक तत्वों की मात्रा के अनुपालन में उत्पाद की घोषित भंडारण अवधि तक किसी भी समय घोषित पोषक तत्व के अधिकतम मान के 10 प्रतिशत कम तक छूट होगी।

(ङ) पोषक तत्वों का परिकलन:

- (i) ऊर्जा का परिकलन : उल्लिखित की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा निम्नलिखित परिवर्तन घटकों का उपयोग करके परिकलित की जाए:

(क)	कार्बोहाइड्रेट	4 कि.कै/ग्रा
(ख)	पालियॉल, एरिथ्रिटॉल को छोड़कर	2 कि.कै/ग्रा
(ग)	एरिथ्रिटॉल	0 कि.कै/ग्रा
(घ)	प्रोटीन	4 कि.कै/ग्रा
(ङ)	वसा	9 कि.कै/ग्रा
(च)	एल्कोहल (एथनॉल)	7 कि.कै/ग्रा
(छ)	जैव अम्ल	3 कि.कै/ग्रा
(ज)	आहारिक रेशा	2 कि.कै/ग्रा

- (ii) प्रोटीन का परिकलन -उल्लिखित की जाने वाली प्रोटीन की मात्रा का परिकलन निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जाए:

प्रोटीन = कुल ज़ेल्डाल नाइट्रोजन x 6.25 (वैज्ञानिकतः सिद्ध किसी भिन्न घटक का प्रयोग किया जा सकता है।

परंतु यह कि दूध में प्रोटीन अंश के परिकलन के लिए 6.38 परिवर्तन घटक का प्रयोग किया जाए।

(च) पोषण सूचना बार कोड/ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर (जीटीआईएन) के रूप में अतिरिक्त रूप में भी दी जा सकती है।

(4) शाकाहार अथवा मांसाहार के संबंध में घोषणा:-

(क) पशुमूल के संघटकों, जिनमें खाद्य सहयोज्य पदार्थ, प्रसंस्करण सहायक सामग्रियाँ शामिल हैं, के प्रत्येक पैकेज पर उत्पाद को मांसाहार दर्शाने के लिए नीचे निर्धारित प्रतीक चिह्न और रंग कोड की इस आशय की घोषणा हो। प्रतीक में ब्राउन रंग की आउटलाइन वाले वर्ग में ब्राउन रंग की त्रिभुज है, जिसका व्यास और भुजाएँ विनियम 5(4) (ग) में उल्लिखित सारणी में विहित न्यूनतम साइज से कम न हों, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:



भूरा रंग

परंतु जिस खाद्य वस्तु में मांसाहार के रूप में केवल अंडा हो, उसका उत्पादक, अथवा पैकर अथवा विक्रेता इस आशय की घोषणा उपयुक्त प्रतीक के अतिरिक्त दे सकता है।

(ख) पौध मूल के संघटकों जिनमें खाद्य सहयोज्य पदार्थ प्रसंस्करण सहायक सामग्रियाँ शामिल हैं, वाले खाद्य के प्रत्येक पैकेज पर इस प्रयोजन के लिए नीचे निर्दिष्ट प्रतीक और रंग कोड के रूप में एक घोषणा यह दर्शाने के लिए हो कि उत्पाद शाकाहार है। प्रतीक हरे रंग की आउटलाइन के वर्ग में हरे रंग से भरा गोला हो और इसकी भुजाएँ विनियम 5(4)(ग) में उल्लिखित सारणी में विहित न्यूनतम साइज से कम न हों, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:



हरा रंग

(ग) शाकाहार/मांसाहार लोगो का साइज

क्रम सं०	प्रमुख प्रदर्शन पैनल का क्षेत्रफल, वर्ग सें.मी. में	वृत्त के व्यास का न्यूनतम साइज, मि.मी में	त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का न्यूनतम साइज, मि.मी में	वर्ग की प्रत्येक भुजा का न्यूनतम साइज, मि.मी में
1.	100 तक	3	2.5	6
2.	100 से 500 तक	4	3.5	8
3.	500 से 2500 तक	6	5	12
4.	2500 से अधिक	8	7	16

(घ) जैसा कि इस विनियम में उपबंध है, शाकाहार अथवा मांसाहार संबंधी घोषणा पैम्फलेटों, पन्नों और किसी भी माध्यम से विज्ञापनों में प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी।

प्रतीक को पैकेज के प्रमुख प्रदर्श पैनल पर उत्पाद के नाम अथवा ब्रांड नाम के बिल्कुल निकट विपरीत बैकग्राउंड में प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

विनियम 5(4) (क) और 5(4)(ख) के उपबंध खनिज जल, पैकेजबंद पेय जल, कार्बोनेटित जल, एल्कोहलीय बीवरेजों, द्रव दूध, दुग्ध पाउडरों अथवा शहद पर लागू नहीं होंगे।

(5) खाद्य सहयोज्य पदार्थों संबंधी घोषणा:-

खाद्य सहयोज्य पदार्थों की प्रयोजनमूलक श्रेणियों को विशिष्ट नाम(मों) अथवा मान्य अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के साथ घोषित किया जाएगा, जैसा कि खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में संघटकों की सूची में विहित है।

(क) जिस खाद्य में खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 33.1(1) के अनुसार सुवासकारी समाग्री डाली जाए, उसके बारे में संघटकों की सूची में घोषणा की जाए, परंतु:

(i) कृत्रिम सुवासकारी सामग्रियों के मामले में सुवास का आम नाम घोषित किया जाए;

(ii) प्राकृतिक सुवासकारी सामग्रियों अथवा उनके सदृश सामग्रियों के मामले में सुवास का श्रेणी नाम घोषित किया जाएगा।

(6) नाम और पूरे पते की घोषणा .-

(क) लेबल पर ब्रांड मालिक का नाम और पूरा पता, चाहे वह स्वयं उत्पादक, विपणक, पैकर अथवा बोटलर हो या न हो, जैसी भी स्थिति हो, घोषित किए जाएँ। ऐसे नाम और पते से पहले उसके विशेषक शब्द “उत्पादक (Mfg by, Mfd by)” अथवा विपणक (Mkt by) “उत्पादक और विपणक” अथवा “पैकर और विपणक”, जैसी भी स्थिति हो, लिखे जाएँ।

एल्कोहलीय बीवरेजों की स्थिति में लेबल पर “बोटलबंदकर्ता” अथवा “सम्मिश्रक और बोटलबंदकर्ता अथवा “आयातक और बोटलबंदकर्ता” अथवा आसवनकर्ता और बोटलबंदकर्ता भी लिखे जाएँ।

(ख) किसी खाद्य वस्तु के भारत में आयातित होने पर उस खाद्य के पैकेज पर भारत में उसके आयातक का नाम और पूरा पता भी हो।

परंतु यह कि भारत से बाहर उत्पादित किसी खाद्य वस्तु के भारत में पैक अथवा बोटलबंद किए जाने की स्थिति में ऐसी खाद्य वस्तु के पैकेज के लेबल पर उस खाद्य वस्तु के मूल देश का नाम और आयातक का नाम और पूरा पता और भारत में उसके पैकिंग और बोटलबंदी परिसर का नाम और पूरा पता भी दिया जाएगा।

(7) एफ.एस.एस.ए.आई लोगो और लाइसेंस संख्या:

(क) अधिनियम के अधीन एफ.एस.एस.ए.आई लोगो और लाइसेंस संख्या खाद्य पैकेज के लेबल पर उसकी पृष्ठभूमि के रंग के विपरीत रंग में दिया जाए, यथा:



Lic. No. XXXXXXXXXXXXX

(ख) लेबल पर एफ.एस.एस.ए.आई लोगो और ब्रांड मालिक की लाइसेंस संख्या प्रदर्शित की जाएगी। इसके अतिरिक्त उत्पादक अथवा विपणक अथवा पैकर अथवा बोटलबंदकर्ता, जैसी भी स्थिति हो, ब्रांड मालिक से भिन्न होने पर लेबल पर उनकी लाइसेंस संख्या भी अंकित हो।

- (ग) आयातित खाद्य उत्पादों के मामले में आयातक अपने नाम और पते के साथ एफ.एस.एस.ए.आई लोगो और लाइसेंस संख्या प्रदर्शित करेगा।
- (घ) प्रत्येक खाद्य कारोबारी उन सभी परिसरों के प्रमुख स्थान पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विहित अन्य सूचना के साथ अपना पंजीकरण/लाइसेंस संख्या, जैसी भी स्थिति हो, अथवा खाद्य सुरक्षा डिसप्ले बोर्ड, यदि निर्दिष्ट हो, प्रदर्शित करेगा, जहाँ खाद्य का भंडारण, प्रसंस्करण, वितरण अथवा बिक्री होती हो।
- (ङ) पौष्टिकीकृत खाद्य और जैव खाद्य को इन विनियमों की अनुसूची-II में विहित लोगो से अंकित किया जाएगा। एफ.एस.एस.ए.आई समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार किसी अन्य खाद्य के लिए भी "लोगो" विहित कर सकती है।

(8) निवल मात्रा, खुदरा बिक्री मूल्य और कस्टमर केअर विवरण-निवल मात्रा, खुदरा बिक्री मूल्य और कस्टमर केअर संबंधी विवरण और उसकी रीति विधिक माप-विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार हों।

(9) लॉट/कोड/खेप की पहचान:-

लेबल पर खेप संख्या अथवा कोड संख्या अथवा लॉट संख्या घोषित की जाएगी।

(10) तारीख का अंकन :-

(क) लेबल पर "उत्पादन अथवा पैकेजिंग की तारीख" और "समाप्ति तिथि/तक बेहतर तिथि" दी जाएगी। तथापि ऐच्छिक अथवा अतिरिक्त सूचना के रूप में "से पूर्व बेहतर" अभिव्यक्ति का प्रयोग भी किया जा सकता है।

(ख) उत्पादन अथवा पैकेजिंग/समाप्ति/तक बेहतर/से पूर्व बेहतर तिथि की घोषणा की रीति निम्नानुसार होगी:

- (i) 3 महीने तक की भंडारण अवधि वाले उत्पादों के लिए DD/MM/YY प्ररूप का उपयोग करते हुए दिन, माह और वर्ष; तीन महीने से अधिक की भंडारण अवधि वाले उत्पादों के लिए महीना और वर्ष, बिना कोड किए गए सांख्यिक क्रम से घोषित किए जाएँगे, सिवाय इसके कि महीना बड़े वर्णों में दिया जाएगा और संक्षिप्तक्षरों (कम से कम माह के पहले तीन वर्ण) का उपयोग किया जा सकता है।

(ग) यदि तिथि की वैधता भंडारण की किसी विशेष अवस्था पर निर्भर हो तो 'समाप्ति' अथवा 'तक बेहतर तिथि' के अतिरिक्त लेबल पर खाद्य के भंडारण की किसी विशेष अवस्था की घोषणा की जाए। यदि आवश्यकता हो तो पैक खोलने के बाद की भंडारण अवस्थाएँ भी निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

(घ) इस विनियम में अंतर्दिष्ट बात के होते हुए भी "समाप्ति तारीख" का संकेत निम्नलिखित के लिए आवश्यक नहीं होगा:

- (i) आलुओं सहित, ताजा फल और सब्जियाँ, जिन्हें छीला, काटा न गया हो अथवा इसी प्रकार उपचारित न किया गया हो;
- (ii) हर तरह की शराब;
- (iii) आयतनानुसार 10% या अधिक एलकोहल वाले एल्कोहलीय बीवरेज;
- (iv) सिरका;
- (v) चाशनी-पगे मिष्ठान्न;
- (vi) औद्योगिक प्रयोग के लिए खाद्य ग्रेड लवण;

(vii) ठोस शर्कराएँ;

(viii) च्युइंग गम और बबल गम।

(ड.) “उत्पादन अथवा पैकेजिंग की तारीख” और “समाप्ति तारीख/तक बेहतर तारीख” को एक जगह एक साथ दिया जाए।

(च) एअरलाइनों/रेलवे/चल कैटरिंग यूनियों में परोसे गए पैकड भोजनों पर “उत्पादन की तारीख और समय” घोषित किए जाएँ।

(11) आयातित खाद्य पदार्थों की लेबलिंग आयातित उत्पादों की लेबलिंग इन विनियमों में उल्लिखित अपेक्षाओं के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 के अनुसार की जाए।

(12) आयातित खाद्य पदार्थों के लिए मूल देश का नाम:-

(क) भारत में आयातित खाद्य पदार्थ के लेबल पर उसके मूल देश का नाम घोषित किया जाए।

(ख) जब खाद्य का प्रसंकरण किसी दूसरे देश में हो, जिससे उसकी प्रकृति में बदलाव हो जाए, तो जिस देश में प्रसंकरण किया जाए और जिससे उसके 6-अंकीय एचएस कोड में परिवर्तन हो जाए, लेबलिंग के प्रयोजन के लिए उसे मूल देश माना जाएगा।

(13) उपयोग के निर्देश:-

(क) खाद्य का उचित उपयोग सुनिश्चित कराने अथवा जहाँ स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे खाद्य के लिए निर्देशों की आवश्यकता हो (उदाहरण के लिए ‘खोलने के बाद ठंडा रखें’) तो लेबल पर उपयोग के निर्देश पुनर्गठन, जहाँ लागू हों, सहित शामिल किए जाएँ।

(14) खाद्य एलर्जन के बारे में घोषणा.-

एलर्जी उत्पन्नकारी के रूप में ज्ञात निम्नलिखित संघटकों को अलग से (एलर्जीकारक संघटक का नाम)युक्त” घोषित किया जाएगा।


- (i) ग्लुटेनयुक्त धान्य, यथा गेहूँ, राई, जौ, जई, जर्मन गेहूँ अथवा उनकी संकर नस्लें और उनके उत्पाद (धान्य के नाम के रूप में घोषित किए जाएँ);
- (ii) क्रस्टासियन और उनके उत्पाद (क्रस्टाशियन के रूप में घोषित किए जाएँ) ;
- (iii) दूध और दुग्ध उत्पाद (दूध के रूप में घोषित किए जाएँ) ;
- (iv) अंडे और अंडा उत्पाद (अंडे के रूप में घोषित किए जाएँ) ;
- (v) मछली और मत्स्य उत्पाद (मछली के रूप में घोषित किए जाएँ) ;
- (vi) मूँगफली, ट्री-नट (उदाहरणार्थ बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू) और उनके उत्पाद (गिरी के रूप में घोषित किए जा) ;
- (vii) सोयाबीन और उनके उत्पाद (सोया के रूप में घोषित किए जाएँ)
- (viii) 10 मिग्रा/किग्रा अथवा इससे अधिक सांद्रता के सल्फाइड (सल्फाइड के रूप में घोषित किए जाएँ)।

परंतु यह कि अन्योन्य संदूषण के कारण जो संघटक एलर्जीकारी रूप में जाने जाते हैं, उनकी मौजूदगी” (एलर्जीकारी संघटकों के नाम) हो सकता है” के रूप में अलग से घोषित की जाए।

परंतु यह कि इन संघटकों से व्युत्पन्न तेलों के मामले में इस घोषणा की आवश्यकता नहीं है।

कच्चे कृषि उत्पाद एलर्जन लेबलिंग अपेक्षाओं से मुक्त हैं।

(15) मानव उपभोग के लिए न आशयित खाद्य सामग्री, उदाहरणार्थ पूजा जल, दिया के लिए घी, पूजा तेल इत्यादि के प्रत्येक पैकेज पर नीचे विहित प्रतीक के रूप में इस आशय की घोषणा हो। प्रतीक काले रंग की आउटलाइन वाले वर्ग में काले रंग के क्रॉस के रूप में हो जिसमें वर्ग की भुजाएँ विनियम 5(4) (ग) में उल्लिखित सारणी में विहित न्यूनतम साइज से कम न हों, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-



6. प्रमुख प्रदर्शन पैनल—(1) इन विनियमों के अधीन अपेक्षित सूचना पैकेज अथवा धारक के प्रमुख प्रदर्श पैनल पर दी जाए और ऐसी सूचना निम्नलिखित रूप में दी जा सकती है:-

(क) सभी सूचना एक जगह एक साथ दी जाए।

अथवा

पूर्व-मुद्रित सूचना एक जगह एक साथ दी जाए, और

(ख) ऑनलाइन सूचना अथवा जो सूचना पूर्व मुद्रित न हो, उसे किसी अन्य स्थान पर एक साथ दिया जाए।

(2) प्रमुख प्रदर्श पैनल का क्षेत्र—प्रमुख प्रदर्श पैनल का क्षेत्र निम्नलिखित से कम न हो:

(क) आयताकार पैकेज के मामले में सबसे बड़े क्षेत्र वाले ऐसे पैकेज के पैनल की ऊँचाई और चौड़ाई के चालीस प्रतिशत;

(ख) बेलनाकार अथवा बेलनाभ, गोल अथवा गोलाभ, अंडाकार अथवा अंडाभ पैकेज के मामले में सबसे बड़े क्षेत्र वाले ऐसे पैकेज की ऊँचाई और परिधि के चालीस प्रतिशत;

(ग) अन्य किसी आकृति के पैकेज के मामले में पैकेज के कुल सतही क्षेत्र का बीस प्रतिशत;

(घ) दस घन सेंटी मीटर अथवा कम धारिता वाले पैकेज के मामले में प्रमुख प्रदर्श पैनल पैकेज से सख्ती से जुड़ा कार्ड अथवा टेप हो सकता है और उस पर इन विनियमों के अंतर्गत सूचन हो।

(3) इन विनियमों के अंतर्गत प्रमुख प्रदर्श पैनल पर अपेक्षित अंक और वर्ण की ऊँचाई निम्नलिखित सारणी के अनुसार हो:

सारणी -1

क्रम सं.	प्रमुख प्रदर्श पैनल का क्षेत्रफल	अंक और वर्ण की न्यूनतम ऊँचाई, मि.मी में	
		सामान्य मामले में	ब्लोन, सॉंचित अथवा धारक पर छिद्रित होने पर
1.	100 सें.मी ² तक	1	2
2.	100 सें.मी ² से अधिक और 500 सें.मी ²	2	4
3.	500 सें.मी ² से अधिक और 2500 सें.मी ²	4	6
4.	2500 सें.मी ² से अधिक	6	8

परंतु यह कि प्रमुख प्रदर्श पैनल पर निवल भार की घोषणा, खुदरा बिक्री मूल्य, समाप्ति की तिथि अथवा 'से पूर्व बेहतर' अथवा 'तक बेहतर तिथि (जहाँ जो लागू हो) और कस्टमर केअर विवरणों के लिए अपेक्षित अंक और/अथवा वर्णों का साइज विधिक माप-विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार हो।

वर्ण अथवा अंक की चौड़ाई उसकी ऊँचाई के एक-तिहाई से कम न हो, परंतु यह परंतुक अंक "1" और i, l एव l के मामले में लागू नहीं होगा।

7. अनिवार्य घोषणाएँ

(1) पैकेजबंद खाद्य में अनुसूची-II में विहित संघटक और/अथवा सहयोज्य पदार्थ होने पर उसे लेबल पर प्रमुख रूप से घोषित किया जाए। वर्ण 'l' को आधार मानते हुए घोषणाओं/अनुसूची -II में विहित विशिष्ट अपेक्षाओं के लिए वर्णों और अंकों के साइज 3 मि.मी से कम न हों।

(2) खाद्य प्राधिकरण किसी संघटक और /अथवा सहयोज्य पदार्थों और संबंधित घोषणा में समय-समय पर संशोधन, विलोपन अथवा परिवर्धन कर सकती है।

8. कतिपय लेबलिंग अपेक्षाओं से छूट

(1) पैकेज का सतही क्षेत्र 100 वर्ग सेंटीमीटर से अनधिक होने पर उसके लेबल पर संघटकों की सूची, राशि संख्या अथवा खेप संख्या अथवा कोड संख्या, पोषण संबंधी सूचना, विकिरणित खाद्य की लेबलिंग, खाद्य सहयोज्य पदार्थों की घोषणा, आयातक का नाम और पूरा पता और उपयोग के निर्देश की अपेक्षाओं से छूट होगी, परंतु बहु-यूनिट पैकेजों पर ये सूचनाएँ दी जाएँ।

(2) बोतलों में विपणित द्रव उत्पादों के मामले में यदि बोतल का पुनः उपयोग अथवा रिफिलिंग आशयित हो तो संघटकों की सूची संबंधी अपेक्षा से छूट होगी, परंतु लेबल पर विनियम 5(3) में विहित पोषण संबंधी सूचना दी जाएगी।

(3) सात दिन से अनधिक जीवन-काल वाले खाद्य के मामले में पैकेजबंद खाद्य वस्तु के लेबर पर 'उत्पादन की तिथि' का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उत्पादक अथवा पैकर उसके लेबर पर 'समाप्ति/ तक प्रयोग करें' तारीख का उल्लेख करें।

(4) तुरंत सेवन के लिए तैयार खाद्य, जैसे होटलों में अथवा खाद्य सर्विस वेंडरों अथवा कैटरों अथवा हलवाइयों अथवा अस्पतालों अथवा किसी धार्मिक समारोह में अथवा एअरलाइन/रेलवे/सवारी गाड़ी अथवा किसी चल यूनिट में परोसा गए खाद्य, के साथ बिक्री के स्थान/खाद्य के परोसने के स्थान पर नीचे विहित न्यूनतम सूचना दी जाए अथवा प्रदर्शित की जाए:

(क) इन विनियमों की अनुसूची -II के उप-विनियम 1.1.(1),(2),(3),1.4(3),(4) और 1.9 के अंतर्गत विहित विशिष्ट घोषणाएँ;

(ख) एलर्जन संबंधी सूचना; और

(ग) शाकाहार अथवा मांसाहार लोगो।

परंतु बिक्री मशीन के माध्यम से बेचे गए खाद्य के मामले में इन विनियमों के विनियम 5(3) में विहित लेबलिंग अपेक्षाएं ऊपर 8(4) में उल्लिखित अपेक्षाओं के अतिरिक्त बिक्री मशीन के बाहर अथवा पोस्टर, पन्ने अथवा धारक पर उचित तरीके से प्रदर्शित की जाए।

(5) यदि निम्नलिखित लेबलिंग अपेक्षाएं बार कोड/ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर (जीटीआईएन) के रूप में दी गई हों, तो उन्हें देने से छूट है,-

- (क) ब्रांड मालिक का पता, चाहे वह स्वयं उत्पादक, विपणक, पैकर अथवा बोटलबंद कर्ता (जैसी भी स्थिति हो, हो या न हो।
- (ख) यदि उत्पादक अथवा विपणक अथवा पैकर अथवा बोटलबंदकर्ता, जैसी भी स्थिति हो, ब्रांड के मालिक से भिन्न हो, तो उनकी लाइसेंस संख्या।
- (6) मिश्रित पैकों के लिए –मिश्रित पैकों पर घोषित जीवन-काल अंदर पैक किए गए पूर्व-पैकेजबंद विभिन्न खाद्यों में से उस उत्पाद का हो जिसका जीवन-काल सबसे से कम हो।

अध्याय-3

9. खाद्य सेवा स्थापनाओं में सूचना का प्रदर्शन

(1) जिन खाद्य सेवा स्थापनाओं के पास केंद्रीय लाइसेंस हो अथवा जिनका 10 या उससे अधिक आउटलेट हो वे उन द्वारा बेचे जाने वाले प्रत्येक खाद्य पदार्थ का कैलोरी मान (प्रति परोसे और परोसे साइज कि.कै में) मेनु कार्ड या बोर्डों या बुकलेटों में उल्लिखित खाद्य वस्तुओं के सामने लिखेंगे।

इसके अतिरिक्त, कैलोरीगत अपेक्षाओं के संबंध में संदर्भ सूचना भी इस प्रकार स्पष्ट रूप से और प्रमुख से दी जाए-
“औसतन सक्रिय प्रत्येक वयस्क के लिए प्रति दिन 2000 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तथापि कैलारी की आवश्यकता भिन्न हो सकती है।”

(2) खाद्य सेवा प्रतिष्ठान मेनु कार्डों अथवा बोर्डों पर लिखित खाद्य वस्तुओं के सामनेनिम्न निर्दिष्ट सूचना भी देंगे:

(क) इन विनियमों के उप-विनियम 5 में यथाविहित खाद्य एलर्जेनों संबंधी सूचना:

परंतु यह कि एलर्जेनों को सुबोध प्रतीकों के रूप में चित्रित किया जा सकता है।

(ख) शाकाहार अथवा मांसाहार लोगो;

(3) ये उपबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:

(क) इवेंट कैटरर्स और फूड सर्विस परिसर जो कैलेंडर वर्ष में 60 दिनों से कम सकय तक चलते हैं (लगातार या रूक – रूककर)।

(ख) स्व-सेवा मसाले जो निःशुल्क हों और मेनु में न हों।

(ग) ग्राहक के अनुरोध के अनुसार विशेष ऑर्डर आइटम या संशोधित भोजन और मेनु आइटम।

(4) खाद्य सेवा स्थापना इन विनियमों के उप-विनियम 5(3) में विहित पोषण सूचना, इन विनियमों की अनुसूची-II के उप-विनियम 1.1(1),(2),(3),1.4(3),(4) और 1.7 में विहित विशिष्ट अपेक्षाएं, यदि लागू हों, और उन द्वारा उपभोक्ता को उनके अनुरोध पर बेचे गए जैविक खाद्य तथा संघटकों, यदि उनका दावा किया गया हो, के संबंध में जानकारी बुकलेटों या हैंडआउटों के रूप में या अपनी वेबसाइट पर देंगे।

परंतु पोषण संबंधी जानकारी की घोषणा के मामले में 25 प्रतिशत का विचलन सहन किया जा सकता है।

(5) ई-कॉमर्स खाद्य कारोबारी उपरोक्त सूचना संबंधित खाद्य कारोबारी से प्राप्त करके उसे अपनी वेबसाइट पर देंगे, जहाँ लागू हो।

(6) यदि खाद्य, खाद्य प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित रीति से परोसा गया हो तो स्वास्थ्य संबंधी संदेशों के साथ-साथ पोषण सूचना और/अथवा संघटक सूचना दी जाए।

(7) प्राधिकरण समय-समय पर इन नियमों में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का ापालन करने के लिए अन्य खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों को भी निर्दिष्ट कर सकता है।

अध्याय-4

10. गैर-खुदरा पात्र की लेबलिंग अपेक्षाएं

(1) गैर-खुदरा बिक्री के लिए अपेक्षित प्रत्येक पैकेजबंद खाद्य पर निम्नलिखित अनिवार्य सूचना या तो उसके धारक पर अथवा उसके साथ लगे लेबल पर दी जाए:

(क) खाद्य का नाम;

(ख) निवल मात्रा;

(ग) एफ.एस.एस.ए.आई का लोगो और लाइसेंस संख्या;

(घ) तिथि का अंकन;

(ङ.) राशि संख्या;

(च) उत्पादक अथवा पैकर का नाम और पता (आयातित उत्पादों के मामले में देश का नाम भी)

(2) यदि लेबल पर निम्नलिखित सूचना न दी गई हो तो वह उसके साथ संलग्न प्रलेखों में दी जाए:

(क) संघटकों की सूची,

(ख) शाकाहार अथवा मांसाहार संबंधी घोषणा,

(ग) पोषण संबंधी सूचना।

(3) निम्नलिखित लेबलिंग अपेक्षाएं बार कोड/वैश्विक व्यापार पहचान संख्या (जीटीआईएन) के रूप में होने पर उन्हें छूट प्राप्त है:-

(क) ब्रांड के मालिक का पता, चाहे वह स्वयं उत्पादक, विपणक, पैकर अथवा बोटलबंदकर्ता, हो या नहीं हो, जैसी भी स्थिति हो,

(ख) यदि उत्पादक अथवा विपणक अथवा पैकर अथवा बोटलबंदकर्ता ब्रांड के मालिक से भिन्न हों तो उनकी लाइसेंस संख्या।

(4) गैर-खुदरा बिक्री के लिए अपेक्षित प्रत्येक पैकेज पर "खुदरा बिक्री के लिए नहीं" अभ्युक्ति होगी।

अध्याय – 5

खाद्य सहयोज्य पदार्थों के उसी रूप में बेचे जाने पर उनकी लेबलिंग

11. खुदरा बिक्री के लिए पैकेजबंद खाद्य सहयोज्य पदार्थों की बिक्री

(1) उपभोक्ता को खुदरा बिक्री के लिए आश्रित खाद्य सहयोज्य पदार्थ के प्रत्येक पैकेज पर इस विनियम के उप-विनियम 5(1) और 5(3) को छोड़कर खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 के अनुसार लेबल लगाया जाए।

(2) इसके अतिरिक्त खाद्य सहयोज्य पदार्थ के प्रत्येक पैकेज के लेबल पर इन विनियमों के अंतर्गत निम्नलिखित सूचना दी जाए:

(क) खाद्य सहयोज्य पदार्थ का नाम :- खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 और उसके संशोधनों में उल्लिखित विहित नाम का प्रयोग किया जाए।

परंतु:

- (i) यदि ऊपर उल्लिखित खंड में ऐसा नाम न दिया गया हो तो अंतरराष्ट्रीय विनियमों में दिए गए नाम का प्रयोग किया जाएगा अथवा
- (ii) अन्य मामलों में आम अथवा वाणिज्यिक नाम का प्रयोग किया जाएगा।
- (iii) संश्लेषित खाद्य रंगों के मामले में रासायनिक नाम और रंजन सामग्री का रंग इंडेक्स दिया जाएगा।
- (iv) पैकेज में दो या अधिक खाद्य सहयोज्य पदार्थ होने पर उनके नाम भार अथवा आयतन के अनुसार उनके संघटन के अवरोही क्रम से दिए जाएँ। कोई एक या अधिक खाद्य सहयोज्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 और उसके संशोधनों द्वारा कवर किए गए किसी खाद्य का मात्रात्मक परिसीमन होने पर उसक खाद्य सहयोज्य पदार्थ की मात्रा अथवा अनुपात बताया जाए। खाद्य संघटकों के निर्मिति के अंग होने पर उन्हें संघटकों की सूची में भार के अनुसार अनुपात के अवरोही क्रम से घोषित किया जाए।

(ख) अन्य अनिवार्य घोषणाएँ

- (i) खुदरा बिक्री से अथवा गैर-खुदरा बिक्री से बेचे गए खाद्य सहयोज्य पदार्थ के हर पैकेज पर “खाद्य प्रयोजनार्थ” शब्द प्रमुख रूप से अंकित किए जाएँ।
- (ii) सुवासकारी सामग्रियों के मिश्रण के मामले में मिश्रण में मौजूद प्रत्येक सुवासकारी सामग्री का नाम देने की आवश्यकता नहीं है, परंतु सुवास की प्रकृति की सही पहचान के साथ आम अथवा प्रजातिगत अभिव्यक्ति “सुवास” अथवा “सुवासकारी” का प्रयोग किया जाए।

“सुवास” अथवा “सुवासकारी” अभिव्यक्ति को “प्राकृतिक”, “प्राकृतिक जैसा”, “कृत्रिम” अथवा इन शब्दों के मेल, जो भी उपयुक्त हो, से विशेषित किया जाए। परंतु यह विशेषक सुवास परिवर्तकों पर लागू नहीं होता।

12. खुदरा पद्धति के अलावा बेचे गए पूर्व पैकेजबंद खाद्य सहयोज्य पदार्थ की लेबलिंग

खुदरा पद्धति के अलावा विक्रय के लिए खाद्य सहयोज्य पदार्थ के हर पैकेज पर खंड 10 (2) (ग) के सिवाय इन विनियमों के अध्याय 4 और विनियम 10 के अनुसार लेबल लगाया जाए।

13. इन विनियमों के उपबंध अधिकात होंगे यदि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, (2006 का 34) के अधीन बने किन्हीं विनियमों में विहित लेबलिंग अपेक्षाओं के विरुद्ध हो।

अनुसूची -I

(विनियम 5 (7) (ड) देखें)

- (1) पौष्टिकीकृत खाद्य के प्रत्येक पैकेज के लेबल पर “.....(पोषक तत्व का नाम) से पौष्टिकीकृत” और नीचे निर्दिष्ट लोगो अंकित हो। लोगो के नीचे “संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन” प्रचार वाक्य भी हो सकता है।




Fortified with....

**SAMPOORNA POSHAN
SWASTHA JEEVAN**




.... से ikSf`Vdhd`r

संपूर्ण पोषण LoLFk जीवन




All dimensions in millimeters

A	B	C	D	a	E (w x h)	F (w x h)	G (w x h)
20	20	2.2	3.1	0.8	7.27 x 9.51	5.67 x 5.84	16.98 x 10.93
40	40	4.4	6.3	1.7	14.54 x 19.03	11.35 x 11.68	33.96 x 21.87
80	80	8.9	12.5	3.4	29.08 x 38.07	22.7 x 23.36	67.92 x 43.75
160	160	17.9	25.4	6.9	58.17 x 76.14	45.39 x 46.72	135.85 x 87.5
320	320	35.6	50.6	13.8	116.35 x 152.29	90.77 x 93.44	275.25 x 175.01



- (2) खाद्य सुरक्षा और मानक (जैविक खाद्य) विनियम, 2017 के अनुसार प्रमाणित जैविक खाद्य के प्रत्येक पैकेज पर नीचे निर्दिष्ट लोगो हो:



A	B	C	D	E	F	G	H
19	1	4	3	1.5	4	2.8	19
27	1.7	6	4.5	2.3	6	4.0	27
33	2	7	5	2.54	7	4.9	33

Dimensions in (mm)

Any size of logo in the proportion of the dimensions given in above table may be used

अनुसूची-II

[विनियम 7(1), 8(4)(क) और 9(4) देखें]

1. अनिवार्य घोषणाएँ:

(1) निम्नलिखित संघटकों/सहयोज्य पदार्थों वाले प्रत्येक खाद्य पैकेज के लेबल पर आयताकार बाँक्स में निम्नलिखित घोषणाएँ हों, अर्थात्:

क्रम सं.	संघटक/सहयोज्य पदार्थ	घोषणा
1.	10% अथवा अधिक पॉलियाँल	पॉलियाँल का रेचक प्रभाव हो सकता है।
2.	10% अथवा अधिक पॉलिडेक्स्ट्रोज	पॉलिडेक्स्ट्रोज का रेचक प्रभाव हो सकता है।
3.	योजित कैफीन	कैफीन युक्त बशर्ते कि यदि उत्पाद में कैफीन डाली गई हो तो, तो डाली गई कैफीन की मात्रा (ppm में) भी संघटकों की सूची में घोषित की जाएगी।
4.	आइसोमाल्ट्रलोज	प्रति 100 ग्राम अथवा 100 मि.ली आइसोमाल्ट्रलोज(कि.कैलोरी) युक्त

(2) निम्नलिखित खाद्य वस्तुओं वाले प्रत्येक खाद्य पैकेज के लेबल पर आयताकार बाँक्स में निम्नलिखित घोषणाएँ हों, अर्थात्-

क्रम सं०	खाद्य वस्तु	घोषणा
1.	मैदा, सुधारकों अथवा विरंजकों से उपचारित	सुधारकों, विरंजकों से उपचारित मैदा, केवल बेकरियों द्वारा प्रयोग के लिए
2.	40ppm से अधिक सल्फर डाईऑक्साइड युक्त शुष्क ग्लूकोज सिरप	शुष्कित ग्लूकोज सिरप, केवल शर्करा मिष्ठान में उपयोग के लिए
3.	फ्रूट स्कवैश, चाहे किसी नाम से बेचा जाए अतिरिक्त सोडियम अथवा पोटेशियम लवण युक्त	अतिरिक्त सोडियम/पोटेशियम लवणयुक्त
4.	कार्बोनेटित अथवा गैर-कार्बोनेटित बीवरेजों में उपयोग के लिए सुवास पायस और सुवास पेस्ट	केवल कार्बोनेटित अथवा गैर-कार्बोनेटित बीवरेजों में उपयोग के लिए सुवास पायस और सुवास पेस्ट
5.	पनीर, यदि खाद्य ग्रेड के मोम से लेपित अथवा उसमें पैकड हो	सेवन से पहले लेपित मोम को हटा दिया जाए।
6.	प्रशीतित डेजर्ट/प्रशीतित मिष्ठान्त	प्रशीतित डेजर्ट/प्रशीतित मिष्ठान्तखाद्य वनस्पति तेल*/और वनस्पति वसा * से बनाया गया है।
7.	सामान्य नमक	आयोडीनीकरण*/लौह प्रबलीकरण*/पशु उपयोग*/संरक्षण जो प्रत्यक्ष उपभोग के लिए नहीं है*/शिशु खाद्य उत्पाद*/ औषधीय उपयोग *के लिए

8.	ताजा फल, यदि मोम लेपित हो	मोमलेपित (मोम का नाम लिखें)
9.	मानव उपभोग के लिए जिलेटिन	जिलेटिन, खाद्य ग्रेड

*जो लागू न हो, उसे काट दें।

(3) निम्नलिखित खाद्य वस्तुओं वाले प्रत्येक खाद्य पैकेज पर और उससे संबंधित विज्ञापन में आयताकार बॉक्स में निम्नलिखित चेतावनी और/अथवा घोषणा हो, अर्थात्-

क्रम सं०	खाद्य वस्तु	घोषणा
1.	पान मसाला	पान मसाला चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
2.	सुपारी	सुपारी खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
3.	“टेबल टॉप मीठाकारक” के रूप में विपणित एस्पार्टेम (मिथाइल एस्टर), एसीसल्फेम पोटेशियम, सूक्रालोज और सैक्करीन सोडियम, नियोटेम	(i) युक्त (कृत्रिम मीठाकारक का नाम) (ii) बच्चों के लिए अनुशंसित नहीं
4.	एस्पार्टेम (मिथाइल एस्टर), “टेबल टॉप मीठाकारक के रूप में विपणित”	“फिनॉयलकेटोन्यूरिक्स के लिए नहीं”

(4) निम्नलिखित संघटकों/सहयोज्य पदार्थों वाले प्रत्येक खाद्य पैकेज पर और उससे संबंधित विज्ञापन में आयताकार बॉक्स में निम्नलिखित चेतावनी और/अथवा घोषणा हो, अर्थात्-

क्रम सं०	संघटक/सहयोज्य पदार्थ	घोषणा
1.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य पदार्थ) विनियम, 2011 में उल्लिखित कृत्रिम/गैर-पोषक मीठाकारक	(i)(कृत्रिम /गैर-पोषक मीठाकारक का नाम) युक्त (ii) बच्चों के लिए अनुशंसित नहीं। (iii) *फिनॉयलकेटोन्यूरिक्स के लिए नहीं (एस्पार्टेम योजित होने पर)
2.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में उल्लिखित एस्पार्टेम मिश्रण (मिथाइल एस्टर) और एसिसल्फेम पोटेशियम मीठाकारक	(i)(खाद्य का नाम) में.....तथा एस्पार्टेम (मिथाइल एस्टर और एसिसल्फेम पोटेशियम) का अधिमिश्रण शामिल है। (ii) शिशुओं के लिए अनुशंसित नहीं। (iii) *फिनॉयलकेटोन्यूरिक्स के लिए नहीं (एस्पार्टेम योजित होने पर)
3.	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 में उल्लिखित कृत्रिम मीठाकारक से युक्त होने की अनुमति वाला प्रत्येक खाद्य पैकेज	कृत्रिम मीठाकारक युक्त और कैलोरी-प्रबंध के लिए
4.	मोनोसोडियम ग्लुटामेट(खाद्य का नाम) का यह पैकेज योजित

	मोनोसोडियम युक्त है। 12 मास से छोटे शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के लिए अनुशंसित नहीं।
--	--

*जो लागू न हो उसे काट दें।

(5) परिशोधित वनस्पति तेल के प्रत्येक धारक पर निम्नलिखित लेबल हो, अर्थात्-

परिशोधित (तेल का नाम) तेल

(6) पैकेजबंद पेय जल और खनिज जल की एक बार प्रयोज्य प्लास्टिक की बोतलों पर निम्नलिखित घोषणा हो:

प्रयोग के बाद बोतल को मरोड़ दें

अथवा

बोतल का निपटान जिम्मेदारीपूर्वक करें

(7) फैट स्प्रेड, दुग्ध उत्पाद, दूध आधारित फल पेय, किण्वित दुग्ध उत्पाद, सोया और चावल पेय, पनीर उत्पाद, दही उत्पाद, मसाला साँस, सलाद ड्रेसिंग, रस और मकरंद, जो पादप स्टै नॉल एस्टरयुक्त हैं, के प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित लेबल हो, अर्थात्-

- प्रति 100 ग्रा अथवा 100 मि.ली मेंग्रा पादप स्टैनॉल एस्टर (पादप स्टैनॉल के रूप में) युक्त।
- कोलेस्ट्रॉल कम करने की औषधि लेने वाले रोगी उत्पाद का उपयोग डॉक्टरी सलाह से करें।
- गर्भवती और धात्री महिलाओं और पाँच वर्ष से छोटे बच्चों के लिए पोषण की दृष्टि से उपयुक्त नहीं हो सकता है।
- प्रति दिन कुल 3 ग्रा से अधिक स्टेरॉल, स्टैनॉल अथवा उनके मिश्रण का सेवन न करें।

(8) जिन बिस्कुटों, ब्रेडों, केकों, अल्पाहार धान्यों, कार्बोनेटित जल, ऊष्मा-प्रसंस्कृत फलों, फल रसों, फल मकरंदों, फल बीवरेजों, फल स्कवैशों, जैम, जैली, फल पनीर, मार्मलेड, डेयरी आधारित पेयों, दुग्ध पाउडर, कार्बोहाइड्रेट-आधारित और दुग्ध उत्पाद-आधारित मिठाइयों, जैसे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, पेठा, खोया बर्फी, मैक्रोनी उत्पाद, नूडल, पास्ता, मिठाई और मिष्ठान्न, कैंडी और आइसिंग, सेवरी और स्नैकों में ट्रीहैलोज डाला जाता है, उनके प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित लेबल हो, अर्थात्-

ट्रीहैलोज युक्त

(9) जिन फ्लेको और तैयार खाद्य शुष्क अल्पाहार धान्यों, नूडलों, पास्ता, सलाद ड्रेसिंगों अथवा टॉपिंगों और स्प्रेडों; फिलर अथवा कैरियर के रूप में टैबल टॉप फाइबर, धान्यों और अन्य स्नैक आहारों अथवा सेवरियो और बिस्कुट, कुकी, ब्रेड, केक मिक्स और पेस्ट्री सहित बेकरी उत्पादों और अन्य उत्पादों में खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के अंतर्गत डेक्स्ट्रिन अनुमत है, और जिनमें योजित आहार रेशा (डेक्स्ट्रिन-विलेय रेशा) होता है, पर निम्नलिखित घोषणा हो, अर्थात्-

.....(विलेय आहार रेशा स्रोत) आहार रेशा (डेक्स्ट्रिन) युक्त

- (10) पादप स्टेरॉल युक्त फैट स्प्रेड, दुग्ध उत्पादों, दूध आधारित फल पेयों, किण्वित दुग्ध उत्पादों, सोया और चावल पेयों, पनीर उत्पादों, दही उत्पादों, मसाला साँसों, सलाद ड्रेसिंगों, रसों और मकरंदों, खाद्यतेलों, और बेकरी उत्पादों पर निम्नलिखित घोषणाएँ हों, अर्थात् –

- प्रति 100 ग्रा अथवा मि.ली.... ग्रा पादप स्टेरॉल (फाइटोस्टेरॉलों के रूप में) युक्त।
- कोलेस्ट्रॉल कम करने की औषधि लेने वाले रोगी उत्पाद का उपयोग डॉक्टर की सलाह से करें।
- गर्भवती और धात्री महिलाओं और पाँच वर्ष से छोटे बच्चों के लिए पोषण की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।
- प्रतिदिन कुल 3 ग्रा से अधिक स्टेरॉल, स्टैनॉल अथवा उनके मिश्रण का सेवन न करें।

- (11) (क) जिस खाद्य का आयनकारी विकिरण से उपचार किया गया हो, उसके लेबल पर उपचार का उल्लेख करते हुए खाद्य के नाम के निकट एक लिखित कथन हो।

(ख) जिस खाद्य का खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 2.13 के अंतर्गत विकिरण से उपचार किया गया हो, उसके लेबल पर हरे रंग में Rudura लोगो और निम्नलिखित घोषणा हो, अर्थात्-

विकिरण-प्रसंस्कृत



उत्पाद का नाम

विकिरण प्रसंकरण का प्रयोजन

प्रचालन लाइसेंस सं.

खेप पहचान सं. (बी.आई.एन) (सुविधा द्वारा यथा –प्रदत्त):

प्रसंस्करण की तिथि.....”

2° लेबलिंग की रीति की विशिष्ट अपेक्षाएं/प्रतिषेध

2.1 खाद्य तेलों और वसाओं की लेबलिंग

(1) खाद्य परिशोधित वनस्पति तेलों और वसाओं के पैकेज, लेबल पर अथवा विज्ञापन में “अति परिशोधित”, “अतिरिक्ततः परिशोधित”, “सूक्ष्मतः परिशोधित”, “दोहरा परिशोधित”, अत्यधिक परिशोधित” जैसी अतिशयोक्तियों का प्रयोग न किया जाए।

(2) 30% से अधिक चावल के भूसे के तेल से बने वनस्पति के प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित लेबल अंकित हो, अर्थात्-

“वनस्पति का यह पैकेज भारतानुसार 30% से अधिक चावल के भूसे के तेल से बना है।”

(3) एन्नाटो रंग वाले वनस्पति तेलों के पैकेज पर निम्नलिखित लेबल हो, अर्थात्-

एन्नाटो रंग युक्त

(4) खाद्य तेलों के अधिमिश्रण वाले प्रत्येक पैकेज के लेबल पर उसके ब्रांड नाम के तुरंत नीचे निम्नलिखित घोषणा हो, अर्थात्-

<p>बहु स्त्रोतीय खाद्य वनस्पति तेल</p> <p>(खाद्य वनस्पति तेल का नाम और प्रकृति *)% भारतानुसार</p> <p>(खाद्य वनस्पति तेल का नाम और प्रकृति *)% भारतानुसार</p>
--

(*अपरिशोधित अथवा परिशोधित रूप में)

लेबल घोषणा “बहु स्त्रोतीय खाद्य वनस्पति तेल” का फॉट साइज 5 मि.मी. से न्यून न हो और लेबल घोषणा “ खाद्य वनस्पति तेल का नाम और प्रकृति% भारतानुसार” का फांट साइज 10 मि.मी से न्यून न हो।

सम्मुख/केंद्रीय पैनल पर उत्पाद के नाम के साथ बड़े अक्षरों में निम्नलिखित घोषणा भी हो,-

खुला न बेचा जाए

2.2 कॉफी –कासनी मिश्रण

(1) कॉफी और कासनी के मिश्रण वाले प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित घोषणाओं वाला लेबल हो-

कासनी मिश्रित कॉफी

मिश्रण की सामग्री

कॉफीप्रति शत

कासनी.....प्रति शत

(2) इन्स्टैंट कॉफी-कासनी मिश्रण वाले प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित घोषणाओं वाला लेबल हो,-

कॉफी और कासनी के मिश्रण से तैयार इन्स्टैंड कॉफी –कासनी मिश्रण:

कॉफीप्रति शत

कासनी.....प्रति शत

2.3 दूध और दुग्ध उत्पादों की लेबलिंग

जिन दुग्ध पाउडरों, मखनिया दूध पाउडरों और संघनित दूध (मीठे और सुवासित) और मिलते-जुलते उत्पादों को द्रव दूध के रूप में पुनः बदला जा सकता है, उनके लेबल पर निम्नलिखित घोषणा हो:

छह माह से छोटे शिशुओं को न पिलाया जाए

2.4 पैकेजबंद पेय जल और पैकेजबंद खनिज जल पर लेबलिंग प्रतिषेध

(1) मानक में शामिल उत्पाद के गुणधर्मों के संबंध में औषधीय प्रभावों (निवारक, सुधारक अथवा आरोग्यकर) के बारे में कोई दावा न किया जाए। उपभोक्ता के स्वास्थ्य से संबंधित अन्य लाभकारी प्रभावों के दावे न किए जाएँ।

(2) जगह, टोला अथवा किसी निर्धारित स्थान का नाम व्यापारिक नाम का तब तक अंग न बने जब तक उसमें उस पैकेजबंद जल का हवाला न हो, जो उस व्यापारिक नाम द्वारा घोषित उस स्थान से एकत्रित न हो।

(3) जिस कथन अथवा चित्रात्मक युक्ति से जनता के मन में कोई भ्रम उत्पन्न हो सके अथवा जिससे बिक्री के लिए प्रस्तुत ऐसे जल की प्रकृति, मूल, संघटन, और गुणधर्मों के बारे में भ्रम हो सके, उसका प्रयोग वर्जित है।

2.5 'ग्लूटेनमुक्त' उत्पादों की लेबलिंग

(1) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 2.14 में उल्लिखित उत्पादों के मामले में "ग्लूटेन मुक्त" शब्दों को उत्पाद के नाम के एकदम साथ मुद्रित किया जाए, अर्थात्-

"ग्लूटेन मुक्त"

यदि किसी ग्लूटेन मुक्त उत्पाद का निर्माण किसी ऐसे प्लांट में किया जाए जहाँ ग्लूटेनयुक्त उत्पाद भी निर्मित होते हैं, तो इस तथ्य को लेबल पर इस प्रकार घोषित किया जाएगा, "ग्लूटेनयुक्त उत्पादों के उत्पादक प्लांट में संसाधित",

अरूण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन.-III/4/असा./364/2020-21]

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2020

F. No. 1-94/FSSAI/SP(Labelling)/2014(Pt-2).—Whereas the draft of certain regulations, namely, the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2019 vide notification number F. No 1-94/FSSAI/SP(Labelling)/2014(Pt-2), dated the 25th June, 2019 was published as required under Sub-section (1) of section 92 of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) in Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4, inviting objections and suggestions from the person likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from date on which the copies of Gazette containing the said notification was made available to the public;

And whereas, the Food Safety and Standards Authority of India made the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011, but now the Food Authority has decided to divide these regulations into two regulations,-

- (i) the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018; and
- (ii) the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2019,

And accordingly published the above-mentioned draft regulations;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 2nd July, 2019;

And whereas objections and suggestions received on the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (2) of section 92, read with section 23 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) and in supersession of the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations, namely:-

Regulations

FOOD SAFETY AND STANDARDS (LABELLING AND DISPLAY) REGULATIONS, 2020

CHAPTER 1

GENERAL

1. Short Title and Commencement. -(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020.

(2) These regulations prescribe the labelling requirements of pre-packaged foods and display of essential information on premises where food is manufactured, processed, served and stored.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and Food Business Operator shall comply with all the provisions of these regulations after one year from the date of their publication in the Official Gazette except chapter-3 of these regulations, to which Food Business Operator shall comply by 1st January, 2022.

2. Definitions. -(1) In these regulations unless the context otherwise requires: -

- (a) “**Act**” means the Food Safety and Standards Act, 2006 (Act 34 of 2006);
- (b) “**Assorted pack**” means any package or container containing multiple units of different food products intended and displayed for retail sale and complies with the general labelling requirement specified in regulation 4(8);
- (c) “**Best before date**” means the date which signifies the end of the period under any stated storage conditions during which the food product shall remain fully marketable and shall retain any specific qualities for which tacit or express claims have been made, and beyond that date, the food may still be perfectly safe to consume, though, its quality may have diminished. However the product shall not be sold if any stage the product become unsafe;
- (d) “**Children or child**” means a person under the age of 18 years as defined in Juvenile Justice Act, 2015.

Explanation- The applicability of the age limit for specific category of food may be indicated in the relevant regulation, under the broad category of children.

- (e) “**Date of manufacture**” means the date on which the food products becomes the product as described;
- (f) “**Date of packaging**” means the date on which the food product is placed in the immediate container in which it will be ultimately sold;
- (g) “**e-commerce**” means buying and selling of goods and services over digital and electronic network.”;
- (h) “**Foods for catering purposes**” means those foods for use in restaurants, canteens, schools, hospitals, quick service restaurants (QSR), home delivery operators, caterers and similar institutions where food is offered for immediate consumption;
- (i) “**Front of Pack**” means part of the package that faces forward (in the principal field of vision) and is typically the first thing a consumer will see when they look at the product”
- (j) “**Infant**” means a person not more than twelve months of age;
- (k) “**Labelling**” means any written, printed or graphic matter that is present on the label, accompanies the food or is displayed near the food;
- (l) “**Lot number**” or “**code number**” or “**batch number**” means the identification mark depicted shown on the label by the use of numeral or alphabet or combinations thereof, brief preceded by “Lot number” or “code number” or “batch number” or any unique identification marks such as Batch No., B. No., L. No., Lot No., Code, LN, CN or BN, B No by which the food can be traced in manufacture and identified in distribution;
- (m) “**Multi-unit package**” means a package containing two or more individually packaged or labelled units of the same food commodity of identical and / or different, net quantity intended and displayed for retail sale either in individual units or package as a whole and complies with the general labelling requirement specified in regulation 4(8);
- (n) “**Non-retail containers**” means any container that is not intended to be offered for direct sale to the consumer. The food in the non-retail container is for further business activities before being offered to the consumer;
- (o) “**Non-vegetarian food**” means an article of food which contains whole or part of any animal including birds, insects, fresh water or marine animals or eggs or products of any animal origin, but does not include milk, milk products, honey or bees wax or carnauba wax or shellac;
- (p) “**Package/container**” means a pre-packed box, bottle, jar, casket, tin, barrel, case, pouch, receptacle, sack, bag, wrapper or such other things in which an article of food is packed;
- (q) “**Recommended dietary allowances (RDA)**” means the average daily dietary nutrient intake level sufficient to meet the nutrient requirement of nearly all (97 to 98 per cent.) healthy individuals in a particular life stage and gender group.

Explanations.- For the purposes of this clause, RDA values as provided in current Indian Council of Medical Research Nutrient Requirements and Recommended Dietary Allowances for Indians shall be applicable and if Indian recommended dietary allowances is not available for any nutrient then values provided in Codex or World Health Organization guidelines shall be applicable;

- (r) **“Pre-packaged food”** means food, which is placed in a package of any nature, in such a manner that the contents cannot be changed without tampering it and which is ready for sale to the consumer.

Note: The expression “package” wherever it occurs in these Regulations, shall be construed as package containing prepackaged food articles;

- (s) **“Principal display panel”** means that part of the container/package which is intended or likely to be displayed or presented or shown or examined by the customer under normal and customary conditions of display, sale or purchase of the food article contained therein;
- (t) **“Retail pack”** or **“Retail unit”** means the packages which are intended for sale to ultimate consumer for the purpose of consumption of the food contained therein;
- (u) **“Use by”** or **“expiry”** means the date, which signifies the end of the estimated period under any stated storage conditions, after which the product may not remain safe and the food product probably will not have the quality of safety attributes normally expected by the consumers and the food, shall not be sold or distributed for human consumption;
- (v) **“Vegetarian food”** means any article of food other than Non-Vegetarian Food as defined in these regulations.

(2) All other words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, rules or regulations made thereunder, shall have the meanings assigned to them in the Act, rules or regulations, respectively.

3. The FSSAI may establish an internal mechanism to address the problem arising out of implementation/ interpretation of the regulations.

CHAPTER- 2

LABELLING OF PREPACKAGED FOODS

4. General Requirements. - (1) Every pre-packaged food shall be labeled with information as required under these regulations unless otherwise provided;

(2) When a food product is sold through e-commerce or any other direct selling means, the mandatory requirements of the label as given in these regulations shall be provided to the consumer through appropriate means before sale except ‘batch number/ lot number, best before, use by date, expiry date, date of manufacturing/ packing’;

(3) Pre-packaged food shall not be described or presented on any label or in any labelling in a manner that is false, misleading or deceptive or is likely to create an erroneous impression regarding its character in any respect;

(4) Any information or pictorial device written, printed, or graphic matter may be displayed on the label provided that it is not in conflict with the requirements of these regulations;

(5) The particulars of declaration required under these Regulations to be specified on the label shall be in English or Hindi in Devnagri script:

Provided that nothing herein contained shall prevent the use of any other language in addition to the language required under this regulation:

Provided further that the information provided in such other language shall not contradict the information on the label in the English or Hindi;

(6) Label on pre-packaged foods shall be applied in such a manner that it will not become separated from the container;

(7) Contents on the label shall be clear, unambiguous, prominent, conspicuous, indelible and readily legible by the consumer under normal conditions of purchase and use;

(8) Where a package is provided with an outside container or wrapper and such container or wrapper is displayed for retail sale, it shall also contain all the declarations which are required to appear on the package except where such container or wrapper itself is transparent and the declarations on the package(s) are easily readable through such outside container or wrapper.

Note: for the purpose of this clause in case of a transparent multi-unit package containing several retail units the label of at least one retail unit containing the declarations required under these regulations shall be visible.

5. Labelling Requirements. -In addition to general requirements specified in Regulation 4, every package shall carry the following information on the label, namely,-

(1) The Name of Food: Every package of food shall carry name of the food which indicate the true nature of the food contained in the package, on the Front of Pack:

- (a) Where a food is specified by certain essential composition under Food Safety and Standards Regulations made under the Act, that establishes its identity the name provided therein shall be used;
- (b) In the absence of such name, either a common or usual name or an accompanying description of true nature of food shall be used;
- (c) It may additionally have a “coined”, “fanciful”, “brand” or “trade name” subject to compliance of Food Safety & Standards (Advertising and Claims) Regulation 2018.

(2) List of Ingredients: Except for single ingredient foods, a list of ingredients shall be declared on the label in the following manner:-

- (a) The list of ingredients shall contain an appropriate title, such as the term “Ingredients/List of Ingredients”;
- (b) The name of ingredients used in the product shall be listed in descending order of their composition by weight or volume, as the case may be at the time of its manufacture;
- (c) A food additive carried over into a food in an amount sufficient to perform a technological function in that food as a result of the use of raw material or other ingredients in which the additives was used shall be included in the list of ingredient;
- (d) A specific name shall be used for ingredients in the list of ingredients:

Provided that for ingredients falling in the respective classes, the following class titles may be used, namely: -

Sl. No.	Name of the classes	Class title
1	Edible vegetable oil	Give name of the specific edible oil such as mustard oil, groundnut oil, etc.
2	Edible vegetable fat	Give type of vegetable fat (interesterified vegetable fat, fractionated fat, hydrogenated oils, partially hydrogenated oils, margarine and fat spreads, such as mixed fat spreads, vegetable fat spreads)
3	Animal fat / oil other than milk fat	Give name of the source of fat, pork fat, lard and beef fat or extract thereof shall be declared by specific means.
4	Starches, other than chemically modified starches	Starch
5	All species of fish where the fish constitutes an ingredient of another food and provided that the labelling and presentation of such food does not refer to a species of fish	Fish
6	All types of meat where such meat constitutes an ingredient of another food and provided that the labelling and presentation of such a food does not refer to a specific type of meat	Give name of the source of meat
7	All types of cheese where cheese or mixture of cheese constitute an ingredient of another food and provided that the labelling and presentation of such a food does not refer to a specific type of cheese	Cheese
8	All spices, herbs and condiments and their extracts	Spice and condiments, herbs or mixed spices/condiments as appropriate
9	All types of gum or preparations used in the manufacture of gum base for chewing gum and bubble gum	Gum base

Sl. No.	Name of the classes	Class title
10	Anhydrous dextrose and dextrose monohydrate	Dextrose or Glucose
11	Sucrose	Sugar
12	All types of caseinates	Caseinates
13	Press, expeller or refined cocoa butter	Cocoa butter
14	All crystallized fruits/vegetables	Crystallized fruit/vegetable
15	All milk and milk products derived solely from milk	Milk solids (source may also be given)
16	Cocoa bean, Cocoa nib, Cocoa mass, Cocoa press cakes, Cocoa powder (Fine/dust)	Cocoa solids
17	All vitamin(s) and their compounds	Vitamin(s)
18	All minerals and trace elements and their compounds/salts	Mineral (s) and/or trace element(s)

(e) Where an ingredient is itself the product of two or more ingredients, such a compound ingredient shall be declared, by their specific names;

(i) as such, in the list of ingredients, provided that it is immediately accompanied by a list, in brackets, of its ingredients in descending order of proportion (m/m) at the time of manufacture of such compound ingredients:

or

(ii) by declaring all of the ingredients of compound ingredient as if they were individual ingredients of the final food:

Provided that where a compound ingredient constitutes less than 5 per cent. of the food, the ingredients, other than food additives that serve the technological function in the food products, need not be declared;

(f) Added water shall be declared in the list of ingredients except in cases where water forms part of an ingredient, such as, brine, syrup or broth, used in the compound food and so declared in the list of ingredients:

Provided that water or other volatile ingredients evaporated in the course of manufacture need not be declared;

Provided further that in case of dehydrated or condensed food, which are intended to be reconstituted by addition of water, the ingredients in such reconstituted food shall be declared in descending order of weight or volume as the case may be, and shall contain a statement such as "Ingredients of the product when prepared in accordance with the directions on the label";

(g) The ingoing percentage of an ingredient (including compound ingredients or categories of ingredients), by weight or volume as appropriate, at the time of manufacture, shall be disclosed for foods sold as a mixture or combination where the ingredient:

- (i) is emphasized as present on the label through words or pictures or graphics; or
- (ii) is not within the name of the food but, is essential to characterise the food and is expected to be present in the food by consumers, and if the omission of the quantitative ingredient declaration will mislead or deceive the consumer:

Provided that such disclosures are not required where -

- (i) the ingredients are used as flavouring agents including spices or condiments or herbs or their extracts or mixed masalas or seasonings;
- (ii) a reference in the name of food to an ingredient or category of ingredients, if that reference would not mislead or deceive or would not be likely to create an erroneous impression to the consumer regarding the character of the food because the variation in quantity of ingredient(s) between products is not necessary to characterize the food or distinguish it from similar foods;
- (iii) the drained net weight is indicated on the label as required, except in case of mixed ingredients products where certain ingredient(s) is/are emphasized.;
- (iv) specific provisions are stipulated under these regulations for a food;
- (v) a pictorial representation of a serving suggestion is made for consumer information and use.

(vi) Added Micro-Nutrients and their preparations like vitamins, minerals, amino acids that are subject to a nutrition declaration as per requirements specified in regulation 5 (3).

(3) Nutritional information.-

(a) For the purposes of these regulations, nutritional information is a description intended to inform the consumer of nutritional properties of the food and the following definitions shall be applicable:

(i) 'sugars' means all monosaccharides (glucose, fructose, etc.) and disaccharides (maltose, sucrose, lactose, etc.).

(ii) 'added sugars' means monosaccharides and disaccharides added to foods and beverages

(iii) 'fat' means total lipids including saturated fat, monounsaturated fat, polyunsaturated fat and trans fat.

(A) 'Saturated fats' means fatty acids without double bonds.

(B) 'Monounsaturated fats' means fatty acids with one cis double bond.

(C) 'Polyunsaturated fats' means fatty acids with cis-cis methylene interrupted double bonds.

(D) 'Trans fat' means all the geometrical isomers of monounsaturated and polyunsaturated fatty acids having non-conjugated, interrupted by at least one methylene group, carbon-carbon double bonds in the trans configuration.

(iv) "dietary fiber" means carbohydrate polymers with a degree of polymerization (DP) not lower than three, which are not hydrolysed by the endogenous enzymes in the small intestine of humans and the same consists of one or more of-

(A) Edible carbohydrate polymers naturally occurring in the food as consumed;

(B) Carbohydrate polymers, which have been obtained from food raw material by physical, enzymatic or chemical means;

(C) Synthetic carbohydrate polymers.

(v) 'nutrient' means a constituent of food, which:

(A) provides energy ; or

(B) has specific metabolic or physiological functions; or

(C) is needed for growth and development and maintenance of healthy life;

(b) Nutritional Information per 100g or 100ml or per single consumption pack of the product and per serve percentage (%) contribution to Recommended Dietary Allowance calculated on the basis of 2000kcal energy, 67 g total fat, 22 g saturated fat, 2 g trans fat, 50 g added sugar and 2000 mg of sodium (5 g salt) requirement for average adult per day, shall be given on the label containing the following: —

(i) energy value (kcal);

(ii) the amounts of

(A) Protein (g);

(B) Carbohydrate (g) and Total Sugars (g), added sugars (g);

(C) Total fat (g), saturated fat (g), trans fat (other than naturally occurring trans fat)(g) and cholesterol (mg);

Provided that the content of saturated fat and trans fat may be declared on the label as "not more than".

Provided that saturated fat and trans fat to be given only if fat content is more than 0.5%

(D) Sodium (mg);

(iii) Wherever, numerical information on vitamins and minerals is declared, it shall be expressed in metric units;

(iv) Nutrition information panel shall include the amount of food in gram (g) or millilitre (ml) for reference beside the serving measure and the number of servings in the package.

Explanation: “serving or serve size” means an amount of food customarily consumed per eating occasion or as defined on the label which is expressed in metric unit. Additionally, it may also be given in common household measures like tea spoon, table spoon, cup that is appropriate to the food.

Provided that the food claimed to be enriched with nutrients, such as, minerals, proteins, vitamins, amino acids or enzymes shall give the quantities of such added nutrients on the label.

(c) The following foods are exempted from mandatory nutritional labelling:

- (i) Unprocessed products that comprise a single ingredient;
- (ii) Processed products which the only processing they have been subjected to is maturing and that comprise a single ingredient;
- (iii) Waters intended for human consumption, including those where the only added ingredients are carbon dioxide;
- (iv) A herb, a spice or mixtures thereof/Curry Powder except Sprinkler masala (masalas meant for direct consumption);
- (v) Salt and salt substitutes;
- (vi) Table top sweeteners;
- (vii) Coffee extracts and chicory extracts, whole or milled coffee beans and whole or milled decaffeinated coffee beans, coffee, decaffeinated coffee, soluble coffee powder, coffee chicory mixture;
- (viii) Herbal and fruit infusions, tea, decaffeinated tea, instant or soluble tea or tea extract, decaffeinated instant or soluble tea or tea extract, which do not contain other added ingredients than flavourings which do not modify the nutritional value of the tea;
- (ix) Fermented vinegars and substitutes for vinegar, including those where the only added ingredients are flavourings;
- (x) Flavourings, Food additives, Processing aids, Food enzymes, Gelatine, Yeast;
- (xi) Chewing-gums;
- (xii) Alcoholic Beverages.
- (xiii) Foods for Special Dietary Uses (FSDU), Foods for Special Medical Purposes(FSMP), subject to the compliance of requirements specified in the Food Safety and Standards (Health Supplements, Nutraceuticals, Food for Special Dietary Use, Food for Special Medical Purpose, Functional Food and Novel Food) Regulations, 2016.

Provided that every package of edible oils, interesterified vegetable fat, both hydrogenated or partially hydrogenated oils, edible fats, margarine and fat spreads (mixed fat spread and vegetable fat spread) and package of food in which fats, oils and fat emulsions is used as an ingredient shall declare the quantity of trans fat content and saturated fat content on the label.

Provided that the content of saturated fat and trans fat may be declared on the label as “not more than”.

Provided further that every package of edible oils, interesterified vegetable fat, both hydrogenated or partially hydrogenated oils, edible fats, margarine and fat spreads (mixed fat spread and vegetable fat spread) shall declare the quantity of monounsaturated fatty, polyunsaturated fatty acid, omega-3 fatty acid and omega-6 fatty acid content on the label.

However, nutritional information shall be required in the above-mentioned products if a nutrition or health claim is made on the label.

(d) The compliance to quantity of declared nutrients on the label shall have the tolerance of maximum minus 10 percent of the value for that nutrient declared on the label at any point in time within declared shelf life of the product.

(e) **Calculation of Nutrients:**

(i) Calculation of Energy: The amount of energy to be listed should be calculated by using the following conversion factors:

(A) Carbohydrates	4 kcal/g
(B) Polyols except Erythritol	2 kcal/g

(C) Erythritol	0kcal/g
(D) Protein	4 kcal/g
(E) Fat	9 kcal/g
(F) Alcohol (Ethanol)	7 kcal/g
(G) Organic acid	3 kcal/g
(H)Dietary fibre	2kcal/g

(ii) Calculation of Protein - The amount of protein to be listed should be calculated using the formula:

Protein = Total Kjeldahl Nitrogen x 6.25 (Unless a different factor scientifically justified, may be used)

Provided that for calculating protein content in milk a conversion factor of 6.38 needs to be used.

(f) Nutritional information may additionally be provided in the form of Barcode/Global Trade Identification Number (GTIN).

(4) Declaration regarding Veg or Non veg.-

(a) Every package of Non-Vegetarian Food containing ingredients including food additives, processing aids of animal origin shall bear a declaration to this effect made by a symbol and colour code as stipulated below. The symbol shall consist of a brown colour filled triangle inside a square with brown outline having the sides not less than the minimum size specified in the Table mentioned in the regulation 5 (4) (c), as indicated below:


Brown colour



Provided where any article of food contains egg only as Non-Vegetarian ingredient, the manufacturer, or packer or seller may give declaration to this effect in addition to the said symbol.

(b) Every package of Vegetarian Food containing ingredients including food additives, processing aids of plant origin shall bear a declaration to this effect by a symbol and colour code as stipulated below. The symbol shall consist of a green colour filled circle inside a square with green outline having the diameter not less than the minimum size specified in the Table mentioned in the regulation 5 (4) (c), as indicated below:

Green colour



(c) Size of the Vegetarian/Non-vegetarian logo:

Sl. No.	Area of principal display panel in cm. square	Minimum size of diameters of circle in mm	Minimum size of each side of triangle in mm	Minimum size of each side of square in mm
1.	Upto 100	3	2.5	6
2.	Above 100 to 500	4	3.5	8
3.	Above 500 to 2500	6	5	12
4.	Above 2500	8	7	16

(d) Declaration regarding Veg. or Non-Veg shall also be prominently displayed as provided in this regulation on the pamphlets, leaflets and advertisements in any media.

The symbol shall be prominently displayed on the package having contrast background on principal display panel, just close in proximity to the name or brand name of the product on front of pack-

Provisions of regulations 5(4)(a) and 5(4)(b) shall not apply in respect of mineral water, packaged drinking water, carbonated water, alcoholic beverages, liquid milk, milk powders and honey.

(5) Declaration regarding Food Additives.-

Functional classes for food additives shall be declared together with the specific name(s) or recognized International Numbering System (INS) as specified in Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011 in the list of the ingredients;

- (a) Every food to which a flavouring agent is added in accordance with the Regulation 3.3.1(1) of Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011, it shall be declared in the list of ingredients provided that:
- In case of artificial flavoring substances the common name of the flavor shall be declared;
 - In case of natural flavoring substances or nature identical substances the class name of flavors shall be declared.

(6) Declaration of name and complete address.-

- (a) The name and complete address of the brand owner, whether or not, he himself is the manufacturer, marketer, packer or bottler, as the case may be, shall be declared on the label. Such name and address shall be preceded by the qualifying words “Manufactured by (Mfg by, Mfd by)” or “Marketed by (Mkt by)” or “Manufactured & Marketed by” or “Packed & Marketed by” as the case may be.

In case of alcoholic beverages, “Bottled by” or “Blended and Bottled by” or “Imported and Bottled by”. Or “distilled and bottled by” may also be declared on label.

- (b) Where an article of food is imported into India, the package of food shall also carry the name and complete address of the importer in India.

Provided further that where any food article manufactured outside India is packaged or bottled in India, the package containing such food article shall also bear on the label, the name of the country of origin of the food article and the name and complete address of the importer and the premises of packing or bottling in India.

(7) FSSAI logo and license number.-

- (a) The FSSAI logo and license number under the Act shall be displayed on the label of the food package in contrast color to the background as below:



Lic. No. XXXXXXXXXXXXXXXX

- (b) The FSSAI logo and license number of the brand owner shall be displayed on the label. In addition, the license number of the manufacturer or marketer or packer or bottler, as the case may be, if different from the brand owner, shall also be displayed on the label.
- (c) In case of imported food products, the importer shall display FSSAI logo and license number along with name and address of importer.
- (d) Every food business operator shall display on all its premises, where food is stored, processed, distributed or sold, the Registration/Licence No. as the case may be or Food Safety Display Board if specified, along with other information as may be specified by the Food Authority from time to time at a prominent place in the premises.
- (e) Fortified food and organic food shall be marked with the logo as specified in schedule II of these regulations. FSSAI may specify logo for any other food as decided from time to time.

(8) Net quantity, Retail Sale Price and Consumer Care details.-

Declaration and manner of declaration of Net quantity, Retail Sale Price and Consumer Care details shall be as provided in Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the Rules made there under.

(9) Lot/Code/Batch identification.-

A batch number or code number or lot number shall be declared on the label.

(10) Date Marking.-

- (a) “Date of manufacture or packaging” and “Expiry/Use by” shall be declared on the label. However, expression “Best before” may also be used as optional or additional information.
- (b) The manner of declaration of date of manufacture or packaging/Expiry/Use by/Best Before shall be as follows:
- (i) the day, month and year using the DD/MM/YY format for products with a short shelf life of up to 3 months; the month and the year for products with a shelf life of more than three months, shall be declared in un-coded numerical sequence except that the month shall be indicated by capital letters and abbreviations (at least first three letters of the month) may be used.
- (c) In addition to the expiry or Use by, any special conditions for the storage of the food shall be declared on the label if the validity of the date depends thereon. If required, storage conditions after opening the pack may also be specified.
- (d) Notwithstanding anything contained in this regulation, an indication of the “Expiry” shall not be required for:
- (i) Fresh fruits and vegetables, including potatoes which have not been peeled, cut or similarly treated;
- (ii) All types of wine;
- (iii) Alcoholic beverages containing 10% or more by volume of alcohol;
- (iv) Vinegar;
- (v) Sugar boiled confectionery;
- (vi) Food grade salt for industrial use;
- (vii) Solid sugars;
- (viii) Chewing gum and bubble gum.
- (e) “Date of manufacture or packaging” and “Expiry /Use by” shall be grouped together and given at one place.
- (f) “Date and time of manufacture” shall be declared on packed meals served in airlines/railways/mobile catering units.

(11) Labelling of Imported Foods.-

Labelling requirements for imported products shall be governed by the Food Safety and Standards (Import) Regulations, 2017 in addition to the requirement mentioned in these regulations.

(12) Country of Origin for Imported Foods-

- (a) The country of origin of the food shall be declared on the label of food imported into India.
- (b) When a food undergoes processing in a second country which changes its nature, the country in which the processing is performed resulting in change in HS Code at the 6 digit level shall be considered to be the country of origin for the purposes of labelling.

(13) Instructions for use.-

- (a) Instructions for use, including reconstitution, where applicable, shall be included on the label, to ensure proper utilization of the food or where such food requires directions for reasons for health and safety (e.g. ‘Refrigerate after opening’).

(14) Declaration regarding Food allergen:

The following foods and ingredients which are known to cause allergy shall be declared separately as Contains..... (Name of allergy causing ingredients)

- (i) Cereals containing gluten; i.e., wheat, rye, barley, oats, spelt or their hybridized strains and products of these (To be declared as name of the cereal);
- (ii) Crustacean and their products (To be declared as Crustacean);
- (iii) Milk & Milk products (To be declared as Milk);
- (iv) Eggs and egg products (To be declared as Egg);
- (v) Fish and fish products (To be declared as Fish);
- (vi) Peanuts, tree nuts (e.g. almonds, walnuts, pistachio, cashew nuts) and their products (To be declared as Nut);

(vii) Soybeans and their products (To be declared as Soy);


(viii) Sulphite in concentrations of 10mg/kg or more (To be declared as sulphite)

Provided that in case presence of ingredients due to cross contamination which are known to cause allergy may be declared separately as May Contains..... (Name of allergy causing ingredients).

Provided further that this declaration is not required in case of oils derived from these ingredients.”

Raw agricultural commodities are exempted from the allergen labelling requirements.

- (15) Every package of food material sold in retail but which is not meant for human consumption example Pooja water, Ghee for diya, Oil for Pooja etc. shall bear a declaration to this effect by a symbol as stipulated below. The symbol shall consist of a black colour cross inside a square with black outline having the sides of square not less than the minimum size specified in the Table mentioned in the regulation 5 (4) (c), as indicated below:



6. Principal display panel.- (1) The information required under these regulations shall be given on the principal display panel of the package or container and such information may be given in following manner, -

(a) All information should be grouped together and given at one place.

Or

(b) The pre-printed information be grouped together and given in one place and,

Online information or those not pre-printed be grouped together in another place.”

(2) Area of Principal Display Panel-The area of principal display panel shall not be less than:

- (a) In the case of a rectangular package, forty percent of the product of height and width of the panel of such package having the largest area;
- (b) In case of cylindrical or nearly cylindrical, round or nearly round, oval or nearly oval package, forty percent of the product of the height and average circumference of such package; or
- (c) In the case of package of any other shape, twenty percent of the total surface area of the package;
- (d) In the case of package having a capacity of ten cubic centimeters or less, the principal display panel may be card or tape affixed firmly to the package and bearing the required information under these regulations.

(3) The height of any numeral and letter required under these regulations, on the principal display panel shall be as shown in table below:

TABLE I

SI. No.	Area of Principal Display Panel	Minimum Height of numeral and letter in mm	
		Normal Case	When Blown, formed Moulded, or perforated on container
1.	Upto 100 cm ²	1	2
2.	Above 100 cm ² upto 500 cm ²	2	4
3.	Above 500 cm ² upto 2500 cm ²	4	6
4.	Above 2500 cm ²	6	8

Provided that the size of numeral and/or letters required for declaration of net weight, retail sale price, date of expiry or best before or the use by date (wherever and as applicable) and Consumer care details on the principal display panel shall be as provided in the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made there under.

The width of the letter or numeral shall not be less than one-third of its height, but this proviso shall not apply in the case of numeral “1” and letters i, I and l.

7. Mandatory Declarations.-

- (1) Wherever, packaged food contains ingredients and /or additives as stated in schedule-II of these regulations, the same shall be prominently displayed on the label. The size of numerals and letters for the declarations/specific requirements specified in schedule-II shall not be less than 3mm based on the letter l.
- (2) The Food Authority may modify, delete or add any of the ingredients and/or additives and corresponding declaration from time to time.

8. Exemptions from certain labelling requirements-

- (1) Where the surface area of the package is not more than 100 square centimetres, the label of such package shall be exempted from the requirements of list of ingredients, Lot Number or Batch Number or Code Number, nutritional information, labelling of irradiated food, declaration of food additives, License no and logo the name and complete address of the importer and instructions for use, but these information shall be given on the multi-unit packages.
- (2) In case of liquid products marketed in bottles, if such bottle is intended to be reused for refilling, the requirement of list of ingredients shall be exempted, but the nutritional information specified in regulation 5(3) shall be given on the label.
- (3) In case of food with shelf-life of not more than seven days, the 'date of manufacture' may not be required to be mentioned on the label of packaged food articles, but the 'Expiry/use by' shall be mentioned on the label by the manufacturer or packer.
- (4) In case of prepared food served for immediate consumption such as in hotels or by food service vendors or caterers or halwais or hospitals or at religious gathering or food served in airline/railways/passenger vehicle or any mobile unit shall accompany or display the minimum information as specified below at the point of sale/serve of the food.
 - (a) Specific declarations prescribed under sub-regulations 1.1 (1), (2), (3), 1.4 (3), (4) and 1.9 of schedule II of these regulations;
 - (b) information relating to allergen; and
 - (c) logo for veg or non-veg.

Provided that in case of food served through vending machine the labelling requirement as prescribed in regulation 5(3) of these regulations shall be displayed in addition to the requirements mentioned in 8(4) above, through appropriate presentation on the outside of vending machine or through poster, leaflet or on the container.

(5)The following labelling requirements are exempted if they are provided in a Barcode/Global Trade Identification Number (GTIN):-

- (a) Address of the brand owner whether or not, he himself is the manufacturer, marketer, packer or bottler, as the case may be,
 - (b) the license number of the manufacturer or marketer or packer or bottler, as the case may be, if different from the brand owner.
- (6)For Assorted packs, Shelf life declared on assorted pack should be that of the product having the earliest shelf life declared amongst the different pre-packaged food packed inside.

CHAPTER- 3

9. Display of information in food service establishments

(1) Food Service Establishments having Central license or outlets at 10 or more locations shall mention the calorific value (in kcal per serving and serving size) against the food items displayed on the menu cards or boards or booklets.

Additionally, reference information on calorie requirements shall also be displayed clearly and prominently as **“An average active adult requires 2,000 kcal energy per day, however, calorie needs may vary”**.

(2) Food Service Establishments shall also mention the information specified below against the food items displayed on the menu cards or boards:

- a) information relating to food allergens as prescribed under sub-regulations 5 (14) of these regulations:

Provided that the allergens may be depicted by easy to understand symbols.

- b) logo for veg or non-veg;

(3) These provisions shall not be applicable to the following:

- a) Event caterers and Food Service premises that operate for less than 60 days in a calendar year (consecutively or non-consecutively).
 b) Self-serve condiments that are free of charge and not listed on the menu.
 c) Special-order items or modified meals and menu items as per customer's request.

(4) Food Service Establishments shall also provide nutritional information as prescribed under sub-regulation 5(3), specific requirements prescribed under the provisions 1.1 (1), (2), (3), 1.4 (3), (4) and 1.7 of schedule-II of these regulations, if applicable and information relating to organic food or ingredients, if claimed, for the food items sold by them to consumers upon request in the form of booklets or handouts or on their website.

Provided that deviation of 25 percent may be tolerated in case of nutritional information declaration.

(5) E-commerce Food Business Operators shall get the above mentioned information from respective Food Business Operators and provide on their website wherever applicable.

(6) Nutritional information and/or ingredients information along with health messages shall be displayed where food is served in a manner as may be required and specified by the Food Authority.

(7) The Authority may specify other food service establishments also to comply with the requirements specified in these regulations from time to time.

CHAPTER 4

10. Labelling Requirements of non-retail container

(1) Every packaged food meant for non-retail sale shall provide the following mandatory information either on the container or pasted on the label thereto:

- (a) Name of the food;
 (b) Net Quantity;
 (c) FSSAI Logo and License number;
 (d) Date marking;
 (e) Lot No.
 (f) Name and address of the manufacturer or packer (including country of origin for imported packages)

(2) The following information if not provided on the label shall be provided in the accompanying documents:

- (a) List of ingredient
 (b) Declaration regarding Veg or Non-Veg
 (c) Nutritional information

(3) The following labelling requirements are exempted if they are provided in a Barcode/Global Trade Identification Number (GTIN):-

- (a) Address of the brand owner whether or not, he himself is the manufacturer, marketer, packer or bottler, as the case may be,
 (b) the license number of the manufacturer or marketer or packer or bottler, as the case may be, if different from the brand owner.

- (4) Every package meant for non- retail sale shall bear a statement “NOT FOR RETAIL SALE”.

CHAPTER 5

LABELLING OF FOOD ADDITIVES WHEN SOLD AS SUCH

11. Labelling of packaged Food Additives for Retail Sale

(1) Every package of a food additive meant for retail sale to the consumer shall be labelled in accordance with the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020 except for sub-regulation 5(1) and 5(3) of this regulation.

(2) Additionally the label of every package of food additive shall provide the following information under these regulations:

- (a) Name of Food Additive.- The specific name as mentioned in Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 and amendments thereof shall be used.

Provided that:

- (i) Where such a name is not listed in the aforementioned clause the name established in international regulations shall be used or
- (ii) In other cases the common or commercial name shall be used
- (iii) In the case of synthetic food colours the chemical name and the colour index of the dye stuff.
- (iv) If two or more food additives are present in the package, their names shall be listed in the descending order of their composition by weight or volume. Where one or more of the food additives is subject to a quantitative limitation in a food covered by Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations 2011, and amendments thereof, the quantity or proportion of that additive shall be stated. If food ingredients are part of the preparation, they shall be declared in the list of ingredients in descending order of proportion by weight.

(b) Other Mandatory Declarations:

- (i) Every package of a food additive sold in retail or non-retail sale shall be marked prominently with the words “FOR USE IN FOOD”.
- (ii) In the case of mixtures of flavourings, the name of each flavouring present in the mixture need not be given but a common or generic expression “flavour” or “flavouring” may be used, together with a true indication of the nature of the flavour.

The expression “flavour” or “flavouring” shall be qualified by the words “natural”, “nature-identical”, “artificial”, or a combination of these words, as appropriate. Provided that this qualifier does not apply to flavour modifiers.

12. Labelling of Pre-packaged Food Additives Sold other than by Retail

Every package of a food additive meant for sale other than in Retail shall carry label in accordance to chapter 4 and regulation 10 of these regulations except the clause 10(2) (c).

13. The provision of these regulations shall supersede, if repugnant to labelling requirement prescribed in any regulations made under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006).

Schedule-I*(See regulation 5 (7) (e))*


(1) Every package of fortified food shall carry the words “fortified with (name of the fortificant)” and the logo, as specified below, on the label. It may also carry a tag line “Sampoorna Poshan Swastha Jeevan” under the logo.



**Fortified with....
SAMPOORNA POSHAN
SWASTHA JEEVAN**


.... से फोर्टिफाइड

सम्पूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन




All dimensions in millimeters

A	B	C	D	a	E (w x h)	F (w x h)	G (w x h)
20	20	2.2	3.1	0.8	7.27 x 9.51	5.67 x 5.84	16.98 x 10.93
40	40	4.4	6.3	1.7	14.54 x 19.03	11.35 x 11.68	33.96 x 21.87
80	80	8.9	12.5	3.4	29.08 x 38.07	22.7 x 23.36	67.92 x 43.75
160	160	17.9	25.4	6.9	58.17 x 76.14	45.39 x 46.72	135.85 x 87.5
320	320	35.6	50.6	13.8	116.35 x 152.29	90.77 x 93.44	275.25 x 175.01



(2) Every package of certified organic food as per Food Safety and Standards (Organic Foods) Regulations, 2017 shall carry the logo as specified below:



A	B	C	D	E	F	G	H
19	1	4	3	1.5	4	2.8	19
27	1.7	6	4.5	2.3	6	4.0	27
33	2	7	5	2.54	7	4.9	33

Dimensions in (mm)

Any size of logo in the proportion of the dimensions given in above table may be used

Schedule-II

(See regulations 7 (1), 8(4) (a) and 9(4))

1. Mandatory Declarations:

(1) Every package of food containing the following ingredients/additives shall bear the following declarations on the label in a rectangular box, namely,-

SI. No.	Ingredients/additives	Declarations
1.	10% or more polyols	Polyols may have laxative effect
2.	10% or more polydextrose	Polydextrose may have laxative effect

3.	Added caffeine	CONTAINS CAFFEINE Provided if caffeine is added in the products, the quantity of the added caffeine (in ppm) shall also be declared in the list of ingredients.
4.	Isomaltulose	Contains Isomaltulose-----(kcal) per 100gm or 100ml

(2) Every package containing the following articles of food shall bear the following declarations on the label in a rectangular box, namely, -

SI. No.	Articles of food	Declarations
1.	Maida treated with improver or bleaching agents	REFINED WHEAT FLOUR (MAIDA) TREATED WITH IMPROVER/BLEACHING AGENTS, TO BE USED BY BAKERIES ONLY
2.	Dried Glucose Syrup containing sulphur dioxide exceeding 40 ppm	DRIED GLUCOSE SYRUP FOR USE IN SUGAR CONFECTIONERY ONLY
3.	Fruit squash by whatever name it is sold, containing additional sodium or potassium salt	CONTAINS ADDITIONAL SODIUM/POTASSIUM SALT
4.	Flavour emulsion and flavour paste meant for use in carbonated or non-carbonated beverages	FLAVOUR EMULSION AND FLAVOUR PASTE FOR USE IN CARBONATED OR NON-CARBONATED BEVERAGES ONLY
5.	Cheese(s), if coated/packed in food grade waxes	COATED WAX TO BE REMOVED BEFORE CONSUMPTION
6.	Frozen Desert/Frozen Confection	Frozen Desserts/Frozen Confection is made with _____ Edible Vegetable Oil*/and Vegetable Fat*
7.	Common Salt	COMMON SALT FOR IODISATION*/ IRON FORTIFICATION*/ANIMAL USE*/ PRESERVATION NOT MEANT FOR DIRECT CONSUMPTION*/INFANT FOOD PRODUCTS*/MEDICINE*/INDUSTRIAL USE*
8.	Fresh fruit if coated with wax	COATED WITH WAX (give name of wax)
9.	Gelatin meant for human consumption	Gelatin Food Grade

* Strike out whatever is not applicable.

(3) Every package containing the following articles of food and advertisement relating thereto shall carry the warning and/or declaration, in a rectangular box, namely, -

SI. No.	Articles of food	Declarations
1.	Pan Masala	CHEWING OF PAN MASALA IS INJURIOUS TO HEALTH
2.	Supari	CHEWING OF SUPARI IS INJURIOUS TO

		HEALTH
3.	Aspartame (Methyl ester), Acesulfame Potassium, Sucralose and Saccharin Sodium, Neotame marketed as “Table Top Sweetener”	(I) CONTAINS..... (NAME OF ARTIFICIAL SWEETENER) (II) NOT RECOMMENDED FOR CHILDREN
4.	Aspartame (Methyl ester), marketed as “Table Top Sweetener”	“NOT FOR PHENYLKETONURICS”

(4) Every package of food containing the following ingredients/additives and advertisement relating thereto shall carry the following warning and declaration, in a rectangular box, namely,-

SI. No.	Ingredients/additives	Declarations
1.	Artificial/non-nutritive sweeteners mentioned in Food Safety and standards (Food Products standards and Food Additive) Regulations, 2011	(i) This contains.....(Name of the artificial/non-nutritive sweeteners). (ii) NOT RECOMMENDED FOR CHILDREN. (iii) * NOT FOR PHENYLKETONURICS”(if Aspartame is added)
2.	Mixture of Aspartame (Methyl Ester) and Acesulfame Potassium Sweeteners mentioned in Food Safety and standards (Food Products standards and Food Additive) Regulations, 2011	(i) This.....(name of food) contains..... and admixture of Aspartame (Methyl Ester and Acesulfame Potassium). (ii) NOT RECOMMENDED FOR CHILDREN (iii) *NOT FOR PHENYLKETONURICS”(if Aspartame is added)
3.	Every package of food which is permitted to contain artificial sweetener mentioned in Food Safety and Standards (Food Products standards and Food Additive) Regulations, 2011	CONTAINS ARTIFICIAL SWEETENER AND FOR CALORIE CONCIOUS
4.	Monosodium Glutamate	This package of (name of the food) contains added MONOSODIUM GLUTAMATE NOT RECOMMENDED FOR INFANTS BELOW -12 MONTHS AND PREGNANT WOMEN

* Strike out whatever is not applicable.

(5) Every container of refined vegetable oil shall bear the following label, namely,—

Refined (name of the Oil) Oil

(6) One time usable plastic bottles of packaged drinking water and mineral water shall carry the following declaration.

OR

CRUSH THE BOTTLE AFTER USE

DISPOSE THE BOTTLE RESPONSIBLY

(7) Every package of fat spread, milk products, milk based fruit drink, fermented milk products, soy and rice drink, cheese products, yoghurt products, spice sauces, salad dressings, juices and nectars containing added plant stanol esters shall bear the following label, namely: —

- Contains Plant Stanol Esters (as Plant Stanols)---gm/100 gm or 100ml.
- Patients on cholesterol lowering medication should use the product under medical supervision.
- May not be nutritionally appropriate for pregnant and lactating women and children under the age of five years.
- CONSUMPTION OF MORE THAN 3g. PER DAY, TOTAL OF STEROL, STANOLS OR COMBINATION THEREOF SHALL BE AVOIDED.

(8) Every package of biscuits, bread, cakes, breakfast cereals, carbonated water, thermally processed fruits, fruit juices, fruit nectars, fruit beverages, fruit squashes, jam, jelly, fruit cheese, marmalade, dairy based drinks, milk powder, carbohydrate- based and milk product based sweets like gulabjamun, rosogolla, peda, khoya burfi, macaroni products, noodles, pasta, sweets and confectionery, candies and icings, savories and snacks wherever the trehalose is added shall bear the following label, namely:—

Contains Trehalose

(9) Every package of flakes and ready to eat dry breakfast cereals, noodles, pasta, salad dressings or toppings and spreads; table top fibre as filler or carrier, cereals and other snack food or savouries and bakery products including biscuits, cookies, bread, cake mix and pastries and other products where dextrin is allowed under Food Safety and standards (Food Products standards and Food Additive) Regulations, 2011, containing added Dietary Fibre (Dextrin-soluble fibre), shall bear the following declarations, namely:-


Contains Dietary Fibre (Dextrin) ----- (Source of soluble Dietary Fibre)

- (1) Fat spread, milk products, milk based fruit drink, fermented milk products, soy and rice drinks, cheese products, yoghurt products, spice sauces, salad dressings, juices and nectars, edible oils, and bakery products containing added plant sterol shall contain the following declarations, namely: -

- Contains Plant Sterol (as Phytosterols) ---g/100g or 100ml.
- Patients on cholesterol lowering medication should use the product under medical supervision
- May not be nutritionally appropriate for pregnant and lactating women and children under the age of five years.
- CONSUMPTION OF MORE THAN 3g/DAY, TOTAL OF STEROL, STANOLS, OR COMBINATION THEREOF, SHOULD BE AVOIDED

(11)(a) The label of a food, which has been treated with ionizing radiation, shall carry a written statement indicating the treatment in close proximity to the name of the food.

(b) Any food that has undergone the process of irradiation provided under regulation 2.13 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, shall bear the Radura logo in green colour and following declaration on the label, namely: -

<p>PROCESSED BY RADIATION</p>  <p>Name of the Product: Purpose of Radiation Processing: Operating License No. : Batch Identification No. (BIN) (as provided by facility): Date of Processing.....”</p>

2. Specific requirements/ restrictions on manner of labelling

2.1 Labelling of edible oils and fats

- (1) The package, label or the advertisement of edible refined vegetable oils and fats shall not use any exaggerated expressions like “Super-Refined”, “Extra-Refined”, “Micro-Refined”, “Double refined”, “Ultra-Refined”.
- (2) Every package of vanaspati made from more than 30 percent of Rice bran oil shall bear the following label, namely: -

‘This package of vanaspati is made from more than
30 per cent Rice bran oil by weight’

- (3) A package containing annatto colour in vegetable oils shall bear the following label namely:—

Contains Annatto colour

(4) Every package containing an admixture of edible oils shall carry the following label declaration immediately below its brand name/trade name on front of pack, namely:-

<p>Multi-Sourced Edible Vegetable Oils (Name and nature* of edible vegetable oil)% by weight (Name and nature* of edible vegetable oil).....% by weight</p>

(*i.e. in raw or refined form)

The font size of the label declaration “Multi-Sourced Edible Vegetable Oils” shall not be less than 5 mm and for label declaration “Name and nature of edible vegetable oil.....% by weight”, font size shall not be less than 3mm:

Provided that the font size of the label declaration shall not be less than 10mm in case the net quantity of the edible oil contained in the packages is 5 litre and above.

There shall also be the following declaration in bold capital letters along with the name of product on front/central panel,-

NOT TO BE SOLD LOOSE

2.2 Coffee-Chicory Mixture

(1) Every package containing a mixture of coffee and chicory shall have affixed to it a label upon which shall be printed the following declaration:

Coffee blended with Chicory
 This mixture contains
 Coffee..... Percent
 Chicory..... Percent

(2) Every package containing Instant Coffee-Chicory mixture shall have affixed to it a label upon which shall be printed the following declarations:

Instant Coffee-Chicory mixture made from blends of coffee and chicory
 Coffee..... Percent
 Chicory..... Percent

2.3 Labelling of Milk and Milk products

All Milk powders, skimmed milk powders and condensed milk (sweetened and flavoured) or similar products, which can be reconstituted into liquid milk, shall carry the following declaration on label:

NOT TO BE USED FOR INFANTS BELOW SIX MONTHS

2.4 Labelling prohibitions for drinking water (both packaged and mineral)

(1) No claims concerning medicinal (preventative, alleviative or curative) effects shall be made in respect of the properties of the product covered by the standard. Claims of other beneficial effects related to the health of the consumer shall not be made.

- (2) The name of the locality, hamlet or specified place may not form part of the trade name unless it refers to packaged water collected at the place designated by that trade name.
- (3) The use of any statement or of any pictorial device which may create confusion in the mind of the public or in any way mislead the public about the nature, origin, composition, and properties of such waters put on sale is prohibited.

2.5 Labelling of 'Gluten Free' products

- (1) The term "Gluten Free" shall be printed in the immediate proximity of the name of the product in the case of products described in regulation 2.14 of the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, namely:-

"Gluten Free"

In case any gluten free product is manufactured in a plant where gluten containing products are also manufactured this shall be declared on the label as "Processed in a plant where gluten containing products are manufactured"

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer
[ADVT.-III/4/Exty./364/2020-21]